



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271436  
CG-DL-E-31032026-271436

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 209]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 228(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2026 है।  
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप आईटीआर-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

" प्ररूप	आकवि-3	भारतीय आय-कर विवरणी (ऐसे व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से आय है) (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	6	-	2

भाग क- साधारण		साधारण							
व्यक्तिगत सूचना	(क1) पहला नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अन्तिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं०					
	संचार उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित पते प्रदान किए जाने हैं: प्राथमिक पता: (क5क) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या (क6क) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क7क) सड़क/गली/डाकघर (क9क) क्षेत्र/इलाका (क10क) कस्बा/नगर/जिला (क11क) राज्य (क12क) पिन कोड/ज़िप कोड (क13क) देश			(क14) प्रास्थिति (चयनित करें) <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब					
	दूसरा पता: (क5ख) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक संख्या (क6ख) परिसर/भवन/ग्राम का नाम (क7ख) सड़क/गली/डाकघर (क9ख) क्षेत्र/इलाका (क10ख) कस्बा/नगर/जिला (क11ख) राज्य (क12ख) पिन कोड/ज़िप कोड (क13ख) देश			(क15) व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)					
				(क16) आधार संख्यांक (12 अंक)					
संसूचना के उद्देश्यों के लिए ब्यौरे उपलब्ध कराएं									
(क17) एस.टी.डी कोड सहित निवास/कार्यालय का फोन नं०/करदाता का प्राथमिक मोबाइल नं०			(क8) जन्म तारीख/विरचना की तारीख(दिन/मास/वर्ष)			द्वितीयक मोबाइल नं०			
(क18) करदाता का प्राथमिक ई मेल			द्वितीयक ई मेल						
(क19) (क1)	आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख [ड्रॉप डाऊन उपलब्ध कराए जाने हैं] 1. 31 अगस्त 2. 31 अक्टूबर 3. 30 नवंबर								
(क19) (कii)	1. धारा के अधीन फाइल की गई (सही) का निशान लगाएँ <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- नियत तारीख के पश्चात् <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित विवरणी, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्						
	या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई		<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग						
फाइल करने की प्रास्थिति	क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए कारबार या वृत्ति से आय धारित करते हैं? (टिक करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
	(1) यदि प्रश्न आ19(ख) का उत्तर हाँ है, तो क्या आपने किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी 3/4 और प्ररूप 101 उआ नियत तारीख के भीतर दाखिल किया है? (टिक करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
	(अ) यदि (1) का उत्तर हाँ है, तो i. पावती संख्या के लिए प्ररूप 10झड.क और उस निर्धारण वर्ष का विवरण दें जिसके लिए पुरानी कर व्यवस्था का चयन करने हेतु यह प्ररूप फाइल किया है। ii. क्या आपने अतीत में उस निर्धारण वर्ष जिसके के लिए पुरानी कर व्यवस्था का चयन करते हुए प्ररूप 10झड.क फाइल किया और उसके पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में, और प्ररूप 10झड.क द्वारा नई व्यवस्था में पुनः प्रवेश किया, तो आयकर विवरणी 3/4 फाइल किया है? (टिक करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
	(क) यदि (1)(अ)(ii) का उत्तर हाँ है, तो दूसरे प्ररूप 10झड.क की पावती संख्या और वह आकलन वर्ष बताएँ जिसके लिए नई कर व्यवस्था चुनने के लिए यह प्ररूप फाइल किया गया था, और नई कर व्यवस्था में आयकर रिटर्न प्रस्तुत करें। (ख) यदि (1)(अ)(ii) का उत्तर नहीं है, तो क्या आपने वर्तमान निर्धारण वर्ष में नई कर व्यवस्था में पुनः प्रवेश करने के लिए प्ररूप 10झड.क प्रस्तुत किया है? (टिक करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (ख)(i) यदि हां, तो प्ररूप 10झड.क की पावती संख्या प्रदान करें और नई कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें।								

	<p>(ख)(ii) यदि नहीं, तो पुरानी कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें।</p> <p>(आ) यदि (1) का उत्तर नहीं है, तो क्या आपने वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था चुनने हेतु नियत तारीख के भीतर प्ररूप 10झड.क प्रस्तुत किया है?</p> <p>(टिक करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>i. यदि (1)(आ) का उत्तर हाँ है, तो प्ररूप 10झड.क की पावती संख्या प्रदान करें, और फिर पुरानी कर व्यवस्था में विवरणी प्रस्तुत करें।</p> <p>ii. यदि (1)(आ) का उत्तर नहीं है, तो नई कर व्यवस्था में आयकर विवरणी प्रस्तुत करें।</p> <p>(2) यदि प्रश्न आ19(ख) का उत्तर नहीं है, तो क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए पुरानी कर व्यवस्था का चयन करेंगे?</p> <p>(टिक करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p><b>नोट- धारा 115खकग(1क) के तहत डिफॉल्ट व्यवस्था 'नई व्यवस्था' है। धारा 115 खकग(6) के अतर्गत नई व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुनकर 'पुरानी व्यवस्था' का चयन किया जा सकता है; जिसके लिए प्ररूप 10झड.क भरना होगा। यह विकल्प, धारा 139(1) के तहत आय का विवरणी जमा करने की नियत तारीख को या उससे पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए।</b></p>	
(ग)	<p>क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्यथा आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं</p> <p>यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें,--</p> <p>[टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, किन्तु वह धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अधीन उल्लिखित शर्तों में से एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी प्रस्तुत कर रहा है।]</p>	
(गि)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(गii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है ?	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
(गiv)	क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाऊन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(चिन्ह) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(घ)	यदि पुनरीक्षित/त्रुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख और रसीद सं० प्रविष्ट करें (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई)	/ /
(ङ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई है, तो यूनिक नंबर/डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना आदेश की तारीख प्रस्तुत करें, या यदि धारा 92गघ के अधीन दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख प्रस्तुत करें	(यूनिक नंबर) / /
(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी
		o आप पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)]
		o आप पूर्ववर्ष के दौरान 60 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों]
		o आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाजरानी पर कर्मिंदल के सदस्य के रूप में, भारत छोड़ दिया है और पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या इससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे [धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(क)]
		o आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और पूर्ववर्ष के दौरान भारत में दौरे पर आए हैं और
		क) पूर्ववर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे ; या
		ख) पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक के लिए तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिन या इससे अधिक के लिए भारत में थे, यदि विदेशी स्त्रोतों से आय

				से भिन्न, कुल आय 15 लाख रू. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का स्पष्टीकरण 1(ख)]
		(ख) निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं।		<p>o आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)]</p> <p>o आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)]</p> <p>o आप भारत के नागरिक है, या भारतीय मूल के व्यक्ति है, जो भारत में दौरे पर आया है, जिसकी विदेशी स्त्रोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रू. से अधिक हो और भारत में पूर्ववर्ष के दौरान 120 दिन या उससे अधिक, लेकिन 182 दिन से कम रहा है। [धारा 6(6)(ग)]</p> <p>o आप भारत के ऐसे नागरिक है, जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान, विदेशी स्त्रोतों से आय से भिन्न, कुल आय 15 लाख रू. से अधिक है और जो किसी अन्य देश या क्षेत्र में, अपने अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण, कर से प्रभार्य नहीं है [धारा 6(6)(ग)]</p>
		(ग) अनिवासी		o आप पूर्ववर्ष के दौरान अनिवासी थे
				(i) कृपया पूर्ववर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें--
			क्रम सं.	निवास की अधिकारिता
			करदाता पहचान संख्या	
			1	
			2	
				(ii) यदि आप भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति है, कृपया विनिर्दिष्ट करें--
			पूर्ववर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)
		भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)		<input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी, किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी
	(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन प्रसुविधा का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ज)		क्या आप धारा 5क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)		
(झ)		क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें		
	(1)	प्रतिनिधि निर्धारिती का नाम		
	(2)	प्रतिनिधि निर्धारिती की ई मेल आईडी		
	(3)	प्रतिनिधि निर्धारिती का संपर्क संख्या		
(ञ)		क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।		
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध
				निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)
(ट)		क्या आप फर्म में भागीदार है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -		
		फर्म का नाम	स्थायी लेखा सं.	
(ठ)		क्या आप पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया साम्या शेयर के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।		

(ड)	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष	
				शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/ क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयर की संख्या	अर्जन की लागत	शेयर की संख्या	विक्रय प्रतिफल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है <input type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ढ)	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है? (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं कृपया निम्नलिखित का विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संव्यवहार या संव्यवहारों से उद्भूत संदायों का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में यथा निर्दिष्ट भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या													
(ण)	क्या निर्धारिती की किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई इकाई है और उसकी केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न होती है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(त)	क्या आप एफ.पी.आई हैं? हां /नहीं यदि हां, सेबी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करें													
(थ)	विधिक इकाई पहचानकर्ता (एल ई आई) विवरण (यदि प्रतिदाय 50 करोड़ या उससे अधिक है, तो अनिवार्य)													
	एल ई आई सं.								तारीख, जिस तक वैध है					

लेखा संपरीक्षा जानकारी (क20)	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(क2)	क्या निर्धारिती केवल 44कड/44ख/44खख/44कघ/44कघक/44खखक/44खखग/44खखघ के अधीन आय की घोषणा कर रहा है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(क2i)	कारबार की कुल बिक्री/आवर्त/सकल प्राप्ति का चयन करें <input type="checkbox"/> 1 करोड़ रू. से 10 करोड़ तक <input type="checkbox"/> 10 करोड़ रू. से अधिक
	(क2ii)	यदि क2i पर "1 करोड़ रु से अधिक और दस करोड़ रु तक" विकल्प का चयन करता है, तो कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त समग्र में से, केश और नॉन अकाउंट पेयी चेक या बैंक ड्राफ्ट में प्राप्त रकम के प्रतिशत का चयन करें। <input type="checkbox"/> 5 प्रतिशत तक <input type="checkbox"/> 5 प्रतिशत से अधिक टिप्पण: यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है, तो आप धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी होंगे)
	(क2iii)	यदि क2i पर "1 करोड़ रु से अधिक और दस करोड़ रु तक" विकल्प का चयन करता है, तो कृपया पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त समग्र में से, केश और नॉन अकाउंट पेयी चेक या बैंक ड्राफ्ट में प्राप्त रकम के प्रतिशत का चयन करें। <input type="checkbox"/> 5 प्रतिशत तक <input type="checkbox"/> 5 प्रतिशत से अधिक टिप्पण: यदि यह प्रतिशत 5% से अधिक है, तो आप धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी होंगे)
	(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा संपरीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
		यदि (ख) पर हां चुना जाता है, निम्नलिखित शर्तों में से उस शर्त को वर्णित करें, जिसके आधार पर चुना गया है :
	(खi)	विक्रय, आवर्त या कुल प्राप्तियां, धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं <input type="checkbox"/> (चिह्नित करें)
	(खii)	निर्धारिती धारा 44कघ/धारा 44कघक/धारा 44कड/धारा 44खख में आता है, परंतु उपधारणात्मक आधार पर आय प्रस्थापित नहीं कर रहा है (लागू धारा में <input type="checkbox"/> चिन्ह लगाएं) <input type="checkbox"/> 44कघ <input type="checkbox"/> 44कघक <input type="checkbox"/> 44कड <input type="checkbox"/> 44खख
	(खiii)	अन्य <input type="checkbox"/> (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/>

(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है . (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां है तो, निम्न सूचना प्रस्तुत करें			
	(1)	लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख		
	(2)	लेखा संपरीक्षा की अधिस्वीकृति सं.		
	(3)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म)		
	(4)	स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/आधार सं.		
(घा)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
(घाii)	यदि (घा) हां है, क्या खातों की संपरीक्षा धारा 93ड के अधीन की गई है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	लेखा संपरीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाई वाईवाई)	पावती सं.
(घाiii)	यदि अन्य लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, तो वर्णित करें कि क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें,			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	क्रम सं.	धारा कोड	तारीख (डीडी/एमएम/वाईवाई वाईवाई)	पावती सं.
(ड)	यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें ।			
	अधिनियम और धारा		डीडी/एमएम/वाईवाई वाईवाई	

<b>कारबार की प्रकृति</b>	कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलापों/उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कघक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)			
	क्र०सं०	कोड	स्वत्वधारी का व्यापार नाम, यदि कोई है	वर्णन
	(i)			
	(ii)			
	(iii)			

<b>भाग क - तुलनपत्र</b>	स्वत्वधारी कारबार या वृत्ति का 31 मार्च 2026 को तुलन-पत्र (ऐसे मामले में, जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)				
<b>निधियों का उपयोग</b>	1	स्वत्वधारी की निधि			
		क	स्वत्वधारी की पूंजी	क	
		ख	आरक्षित और अधिशेष		
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	खा	
		ii	पूंजी आरक्षित	खाii	
		iii	कानूनी आरक्षित	खाiii	
		iv	कोई अन्य आरक्षित	खाiv	
		v	योग (खा + खाii + खाiii + खाiv)	खv	
		ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)	1ग	
	2	ऋण निधियां			
	क	प्रतिभूत ऋण			
	i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i		

निधियों का उपयोग	2	ii	रूप में ऋण					
			अ	बैंकों से ऋण	iiअ			
			आ	अन्य से	iiआ			
			इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ			
		iii	योग (का + iiइ)			काiii		
		ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अधीन निक्षेप राशि भी है)					
			i	बैंकों से ऋण	खि			
			ii	अन्य से	खii			
			iii	योग (ख i + खii)			खiii	
		ग	योग ऋण निधि (काiii + खiii)					2ग
	3	आस्थगित कर दायित्व					3	
	4	अग्रिम						
	5	i	आय-कर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i				
			ii	अन्यों से	ii			
			iii	कुल अग्रिम (i + ii)			4iii	
	5	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3 + 4iii)					5	
	निधियों का उपयोग	1	स्थिर आस्तियां					
			क	सकल ब्लाक	1क			
			ख	अवक्षयण	1ख			
			ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग			
घ			चल रहा पूंजी कार्य	1घ				
		ङ	योग (1ग + 1घ)			1ङ		
2		विनिधान						
		क	दीर्घकालिक विनिधान					
			i	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	काi			
			ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii			
			iii	योग (का + काii)			काiii	
		ख	अल्पकालिक विनिधान					
			i	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खi			
			ii	अधिमानी शेयर	खii			
			iii	डिबेंचर	खiii			
			iv	योग (खi + खii + खiii)			खiv	
ग		कुल विनिधान (काiii + खiv)					2 ग	
3		चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम						
		क	चालू आस्तियां					
			i	बीजक				
		अ	भंडार, जिसके अधीन खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ				
		आ	कच्ची सामग्री	iआ				
		इ	कार्यरत भंडार	iइ				
		ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई				
		उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)			iउ		
		ii	अन्यान्य ऋणी			काii		
		iii	नकद और बैंक अतिशेष					

		अ	हस्तगत नकदी	iiiअ		
			आर्बिक के पास अतिशेष	iiiआ		
			इ योग (iiiअ + iiiआ)			iiiइ
	iv		अन्य चालू आस्तियां			कiv
	v		कुल चालू आस्तियां (iउ + कii + iiiइ + कiv)			कv
	ख		ऋण और अग्रिम			
	i		नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खi		
	ii		निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खii		
	iii		राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खiii		
	iv		योग (खi + खii + खiii)			खiv
	ग		चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खiv)			3ग
	घ		चालू दायित्व और उपबंध			
	i		चालू दायित्व			
		अ	अन्यान्य लेनदार	iअ		
		आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
		इ	उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ		
		ई	उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध नहीं है	iई		
			उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)			iउ
	ii		उपबंध			
		अ	आय-कर के लिए उपबंध	iiअ		
		आ	छुटी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	iiआ		
		इ	अन्य उपबंध	iiइ		
		ई	योग (iiअ + iiआ + iiइ)			iiई
	iii		योग (iउ + iiई)			घiii
	ङ		शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii)			3ङ
	4	क	अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
		ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
		ग	लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष	4ग		
		घ	योग (4क + 4ख + 4ग)			4घ
	5		निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ + 4घ)			5
वह दशा, जहां लेखा नहीं रखे जाते हैं	6		उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है-- (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2026 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)			
		क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम			6क
		ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम			6ख
		ग	व्यापारगत स्टाक की कुल रकम			6ग
		घ	नकदी बकाया की रकम			6घ

भाग क- विनियमन लेखा  
विनिर्माण लेखा

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 65 भरें)

	1		विनिर्माण लेखा के लिए विकलन			
		क	आरंभिक सूची			
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टाक	i		
		ii	चालू काम का आरंभिक स्टाक	ii		

		<b>iii</b> कुल (i + ii)		<b>कiii</b>	
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)		ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी		ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घi + घii + घiii)		घ	
		<b>i</b> आवक वहन व्यय	<b>i</b>		
		<b>ii</b> विद्युत आर ईंधन	<b>ii</b>		
		<b>iii</b> अन्य प्रत्यक्ष व्यय	<b>iii</b>		
	ड.	कारखाने का उपरी व्यय			
		<b>i</b> अप्रत्यक्ष मजदूरी	<b>i</b>		
		<b>ii</b> कारखाना किराया और दरें	<b>ii</b>		
		<b>iii</b> कारखाना बीमा	<b>iii</b>		
		<b>iv</b> कारखाना ईंधन और विद्युत	<b>iv</b>		
		<b>v</b> कारखाने का साधारण व्यय	<b>v</b>		
		<b>vi</b> कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	<b>vi</b>		
		<b>Vii</b> कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)		<b>ड.vii</b>	
	च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)		<b>1च</b>	
	<b>2</b>	अंतिम स्टॉक			
		<b>i</b> कच्ची सामग्री	<b>2i</b>		
		<b>ii</b> चालू काम	<b>2ii</b>		
		कुल (2i + 2ii)		<b>2</b>	
	<b>3</b>	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)		<b>3</b>	

<b>भाग -क</b>		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा				
<b>व्यापारिक लेखा।</b>		मद 61 से मद 65 भरें, यथा लागू)				
व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय	<b>4</b>	संक्रियाओं से राजस्व				
		क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो			
			<b>i</b>	माल का विक्रय	<b>i</b>	
			<b>ii</b>	सेवाओं का विक्रय	<b>ii</b>	
			<b>iii</b>	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)		
				क	<b>iiiए</b>	
				ख	<b>iiiड</b>	
				ग	<b>iiiच</b>	
			<b>iv</b>	कुल (i + ii + iii ग)		<b>कiv</b>
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति			ख
		ग	बिक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर			
			<b>i</b>	संघ उत्पाद शुल्क	<b>i</b>	
			<b>ii</b>	सेवा कर	<b>ii</b>	
			<b>iii</b>	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	<b>iii</b>	
			<b>iv</b>	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	<b>iv</b>	
		<b>v</b>	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	<b>v</b>		
		<b>vi</b>	समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी)	<b>vi</b>		
		<b>vii</b>	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	<b>vii</b>		
		<b>viii</b>	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	<b>viii</b>		
		<b>ix</b>	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii)		<b>गix</b>	
	घ	संक्रियाओं से कुल राजस्व (कiv + ख+गix)			<b>4घ</b>	

	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक		5		
	6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)		6		
व्यापारिक लेखा के लिए विकलन	7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक		7		
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)		8		
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		9		
		i	आवक वहन व्यय	9i		
		ii	विद्युत और ईंधन	9ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii		
	10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय				
		i	सीमा शुल्क	10i		
		ii	प्रति शुल्क	10ii		
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
		v	सेवा कर	10v		
		vi	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	10vi		
		vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii			
	ix	समेकित माल सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix			
	x	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x			
	xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi			
	xii	योग (10i+ 10ii+ 10iii+ 10iv+ 10v+ 10vi+ 10vii+ 10viii+ 10ix+ 10x+ 10xi)	10xii			
	11	माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित		11		
	12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)		12		
	12क	इंट्राडे का कारबार से आवर्त		12क		
	12ख	इंट्राडे कारबार की आय- लाभ तथा हानि लेखा को अंतरित		12ख		
	12ग	फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग से टर्नओवर		12ग		
	12घ	फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग से आय - लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित		12घ		

## भाग क-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 और 66 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 65 भरें)

लाभ और हानि लेखा में जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ (12+12ख+12घ)		13		
	14	अन्य आय				
		i	किराया	i		
		ii	कमीशन	ii		
		iii	लाभांश आय	iii		
		iv	ब्याज आय	iv		
		v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v		
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
		vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii		
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii			

		<b>ix</b>	धारा 28(vi) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	<b>ix</b>			
		<b>x</b>	कृषि आय	<b>x</b>			
		<b>xi</b>	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
			क	<b>xiए</b>			
			ख	<b>xiड</b>			
			ग	<b>xic</b>			
		<b>xii</b>	अन्य आय का योग ( <b>i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi</b> )			<b>14xii</b>	
लाभ और हानि लेखा से विकसन	<b>15</b>	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग ( <b>13 + 14xii</b> )					<b>15</b>
	<b>16</b>	बर्हिगामी माल भाडा					<b>16</b>
	<b>17</b>	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग					<b>17</b>
	<b>18</b>	विद्युत और ईंधन					<b>18</b>
	<b>19</b>	किराया					<b>19</b>
	<b>20</b>	भवनों की मरम्मत					<b>20</b>
	<b>21</b>	मशीनरी की मरम्मत					<b>21</b>
	<b>22</b>	कर्मचारियों को प्रतिकर					
		<b>i</b>	वेतन और मजदूरी	<b>22i</b>			
		<b>ii</b>	बोनस	<b>22ii</b>			
		<b>iii</b>	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	<b>22iii</b>			
		<b>iv</b>	छुट्टी नकदीकरण	<b>22iv</b>			
		<b>v</b>	छुट्टी यात्रा फायदा	<b>22v</b>			
		<b>vi</b>	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	<b>22vi</b>			
		<b>vii</b>	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	<b>22vii</b>			
		<b>viii</b>	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	<b>22viii</b>			
		<b>ix</b>	किसी अन्य निधि में अभिदाय	<b>22ix</b>			
		<b>x</b>	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	<b>22x</b>			
		<b>xi</b>	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर ( <b>22i</b> से <b>22x</b> का योग)				<b>22xi</b>
		<b>xii</b>	क्या <b>22xi</b> में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	<b>xiiक</b>		हां / नहीं	
			यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	<b>xiiख</b>			
	<b>23</b>	बीमा					
	<b>i</b>	चिकित्सा बीमा	<b>23i</b>				
	<b>ii</b>	जीवन बीमा	<b>23ii</b>				
	<b>iii</b>	क्रीमेन्स बीमा	<b>23iii</b>				
	<b>iv</b>	अन्य बीमा, जिसके अधीन कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	<b>23iv</b>				
	<b>v</b>	बीमा पर कुल व्यय ( <b>23i + 23ii + 23iii + 23iv</b> )				<b>23v</b>	
<b>24</b>	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय					<b>24</b>	
<b>25</b>	मनोरंजन					<b>25</b>	

26	सत्कार			26	
27	सम्मेलन			27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)			28	
29	विज्ञापन			29	
30	कमीशन				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)		30iii	
31	स्वामित्व				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)		31iii	
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)		32iii	
33	होटल, बोर्डिंग और वासा			33	
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय			34	
35	विदेशी यात्रा व्यय			35	
36	वाहन व्यय			36	
37	टेलीफोन व्यय			37	
38	अतारीख गृह व्यय			38	
39	क्लब व्यय			39	
40	ल्योहार मनाए जाने संबंधी व्यय			40	
41	छात्रवृत्ति			41	
42	दान			42	
43	दान			43	
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)				
	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii		

	<b>viii</b>	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	<b>44viii</b>				
	<b>ix</b>	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	<b>44ix</b>				
	<b>x</b>	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		<b>44x</b>			
<b>45</b>	संपरीक्षा फीस					<b>45</b>	
<b>46</b>	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)						
	<b>i</b>		<b>i</b>				
	<b>ii</b>		<b>ii</b>				
	<b>iii</b>	कुल (i + ii)			<b>46iii</b>		
<b>47</b>	डूबत ऋण (ऐसे व्यक्ति का पैना/आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबत ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)						
	<b>i1</b>				<b>47i1</b>		
	<b>i2</b>				<b>47i2</b>		
	<b>i3</b>				<b>47i3</b>		
	<b>i</b>	अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल ( <b>47i1 + 47i2 + 47i3</b> )			<b>47i</b>		
	<b>ii</b>	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पैना / आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)			<b>47ii</b>		
	<b>iii</b>	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)			<b>47iii</b>		
	<b>iv</b>	कुल डूबत ऋण( <b>47i + 47ii + 47iii</b> )			<b>47iv</b>		
<b>48</b>	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध					<b>48</b>	
<b>49</b>	अन्य उपबंध					<b>49</b>	
<b>50</b>	ब्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [ <b>15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)</b> ]					<b>50</b>	
<b>51</b>	ब्याज						
	<b>i</b>	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी के लिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय			<b>i</b>		
	<b>ii</b>	अन्य को			<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	कुल (i + ii)			<b>51iii</b>		
<b>52</b>	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण					<b>52</b>	
<b>53</b>	करों के पूर्ण शुद्ध लाभ ( <b>50 - 51iii - 52</b> )					<b>53</b>	
<b>कर और विनियोग के लिए उपबंध</b>	<b>54</b>	चालू कर के लिए उपबंध				<b>54</b>	
	<b>55</b>	आस्थगित कर का उपबंध				<b>55</b>	
	<b>56</b>	कर के पश्चात् लाभ ( <b>53 - 54 - 55</b> )				<b>56</b>	
	<b>57</b>	पूर्ववर्ष से आगे लाया गया अतिशेष				<b>57</b>	
	<b>58</b>	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम ( <b>56 + 57</b> )				<b>58</b>	
	<b>59</b>	आरक्षित और अधिशेष के लिए अंतरित				<b>59</b>	
	<b>60</b>	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रनीत अतिशेष ( <b>58 - 59</b> )				<b>60</b>	
<b>उपधारात्मक मामले</b>	<b>61</b>	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना					
		क्रम सं.	कारबार/वृत्ति का नाम		कारबार कोड	विवरण	

	(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (iक + iख+ iग) (61i, 2 करोड़ रू. तक सीमित, तथापि, यदि 61iख+61iग, 61i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 61i के अधीन सीमा 3 करोड़ तक विस्तारित की जाती है)			61i		
	(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त		iक			
	(ख)	नकद में प्राप्ति		iख			
	(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति		iग			
	(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधारणात्मक आय (iiक + iiख)			61ii		
	(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो		iiक			
	(ख)	(61iख+61iग) का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो		iiख			
	<b>टिप्पण :</b> यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है ।						
	62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपदाराणात्मक आय की संगणना					
		क्रम सं.	कारबार का नाम/वृत्ति		कारबार कोड	विवरण	
	(i)	सकल प्राप्तियाँ (62i, 50 लाख रू0 तक सीमित, तथापि, यदि 62iख+62iग, 62i के 5% से कम है या उसके समान है, तो 62i के अधीन सीमा 750 लाख रू0 तक विस्तारित की जाती है)			62i		
	(क)	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त		iक			
	(ख)	नकद में प्राप्ति		iख			
	(ग)	क और ख के सिवाय कोई अन्य पद्धति		iग			
	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधारणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम, जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो)			62ii		
	<b>टिप्पण :</b> यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है ।						
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधारणात्मक आय की संगणना						
	क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	विवरण		
		माल वहन की रजिस्ट्री-करण सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/किराया	माल वहन की टन भार क्षमता (मिटीक टन में)	मासों की संख्या, जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/किराया पर दिया गया था ।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधारणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति मास प्रति मास प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रू0 प्रति मास की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(क)						
	(ख)						
		कुल					
आवश्यकतानुसार पंक्ति में ब्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)							
	(ii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधारणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग ]			63(iii)		

		<b>टिप्पण :</b> यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व/पट्टे/किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।		
वह दशा, जहां लेखा नहीं रखे जाते हैं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्ववर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।		
		(i) कारबार करने वाले निर्धारिती के लिए		
		क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	iक
		1	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1
		2	कोई अन्य रीति	क2
		ख	सकल लाभ	iख
		ग	व्यय	iग
		घ	शुद्ध लाभ	
		(ii)	वृत्ति करने वाले निर्धारिती के लिए	
		क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	iiए
		1	निर्दिष्ट तारीख से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क 1
		2	कोई अन्य रीति	क 2
		ख	सकल लाभ	
		ग	व्यय	
	घ	शुद्ध लाभ		
	(iii)	कुल लाभ(64i + 64ii)		
	65	i	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवर्त	65i
		ii	सकल लाभ	65ii
		iii	व्यय, यदि कोई हो	65iii
		iv	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)	65iv
	66	अनिवासी के मामले में, यदि कुल आय में धारा 44ख, 44खख, 44खखक, 44खखग, 44खखघ में निर्दिष्ट व्यवसाय से होने वाले लाभ और अभिलाभ शामिल हैं, तो निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:		
		i	सकल प्राप्तियाँ / टर्नओवर	66i
		ii	शुद्ध लाभ	66ii
<b>भाग क - अन्य जानकारी</b>		अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है, तो आज्ञापक है; अन्य के लिए, यदि लागू हो तो भरें)		
अन्य जानकारी	1	पूर्ववर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/> नकद		
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(3)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ XI(4)]	3ख	
	4	पूर्ववर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति		
		क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	
		ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		

	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	5क	
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	5ङ	
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--			
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय या जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूंजी रसीद, यदि कोई है	5ङ	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क + 5ख + 5ग + 5घ + 5ङ)	5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुनज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(ix)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiए)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को शेयरदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ईएसआई अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को शेयरदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vk)]	6ट	
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	

		प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूतियों की रकम, यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त		
		धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ		
		कोई अन्य नामंजूरी	6 द		
		धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)		6 ध	
7		धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क		
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख		
	ग	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अनन्य रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए व्यय [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख )]	7घ		
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च		
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ		
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज		
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ		
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)		7ञ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (i क) XVII- ख	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (ख) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(iiक)]	अच		
	छ	धारा 40(क)(iiख) के अनुसार स्वामिस्व अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ		
	ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अधीन अस्वीकार्य	अज		
	झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ		
	ञ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)		8अञ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम		8आ	
9		धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क		

		धारा 40क(3) के अधीन आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख		
		ग उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40क(7)]	9ग		
		घ किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यक्ति निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40क(9)]	9घ		
		ङ कोई अन्य नामजुरी	9ङ		
		च धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ड)		9च	
	<b>10</b>	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय, किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम			
		क किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
		ख कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
		ग दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग		
		घ किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
		घक ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम	10घक		
		ङ किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
		च अवकाश नकदीकरण के मद्दे संदेय कोई राशि	10च		
		छ रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ		
		ज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे 15 सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	10ज		
		झ धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)		10झ	
	<b>11</b>	पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अनुज्ञेय			
		क किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क		
		ख कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
		ग दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग		
		घ किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		

	<b>घक</b>	ऐसे ऋण या उधार से संबंधित समझौते निबंधन और शर्तों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वर्ग से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में से देय कोई रकम	<b>11</b>		
	<b>ड</b>	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	<b>11ड</b>		
	<b>च</b>	अवकाश नकदीकरण के मदे संदेय कोई राशि	<b>11च</b>		
	<b>छ</b>	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	<b>11छ</b>		
	<b>ज</b>	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे सूक्ष्म या लघु उद्यम की संदेय कोई रकम	<b>11ज</b>		
	<b>झ</b>	धारा 43क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)	<b>11झ</b>		
<b>12</b>	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम				
	<b>क</b>	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	<b>ख</b>	सेवा कर	12ख		
	<b>ग</b>	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	<b>घ</b>	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	<b>ड</b>	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	<b>12ड</b>		
	<b>च</b>	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	<b>12च</b>		
	<b>छ</b>	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	<b>12छ</b>		
	<b>ज</b>	कोई अन्य रकम	12ज		
	<b>झ</b>	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)	<b>12झ</b>		
<b>13</b>	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम				<b>13</b>
<b>14</b>	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				<b>14</b>
<b>15</b>	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				<b>15</b>
<b>16</b>	धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम				<b>16</b>
<b>17</b>	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन नामंजूर किए जाने वाले ब्याज				<b>17</b>
<b>18</b>	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अधीन विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां नहीं <input type="checkbox"/> [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				<b>18</b>

<b>भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे</b>		<b>मात्रात्मक ब्यौरे</b> (आज्ञापक, यदि धारा 44कख के अधीन लेखा संपरीक्षा के लिए दायी है)	
<b>मात्रात्मक ब्यौरे</b>	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	<b>1</b>
	2	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	<b>2</b>
	3	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	<b>3</b>
	4	अंतिम स्टाक	<b>4</b>
	5	कमी/अधिक यदि कोई हो	<b>5</b>
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में	
6	कच्ची सामग्री		

	क	आरंभिक स्टाक	6क	
	ख	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	6ख	
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान खपत	6ग	
	घ	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
	ङ	अंतिम स्टाक	6ङ	
	च	प्राप्त तैयार माल	6च	
	छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ	
	ज	कमी/अधिक, यदि कोई हो	6ज	
7		तैयार माल / उपोत्पाद		
	क	आरंभिक स्टाक	7क	
	ख	पूर्ववर्ष के दौरान क्रय	7ख	
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
	घ	पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
	ङ	अंतिम स्टाक	7ङ	
	च	कमी/अधिक, यदि कोई हो	7च	

**विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)**

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरा			
	नियोजक का नाम	नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्रॉप डाऊन दिया जाएगा)		नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
	नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
वेतन	<b>1</b> सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)				<b>1</b>
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1क		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ग		
	घ	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	1घ		
	ङ	अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के अधीन देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ		
	च	गत वर्ष के दौरान प्रभार्य आय जिसमें धारा 89क के अधीन अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में छूट का दावा किया गया	1च		
	(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)				
<b>2</b> कुल सकल वेतन (सभी नियाजकों से)				<b>2</b>	
<b>2क</b> धारा 89 क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा				<b>2क</b>	
धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते					
<b>3</b> (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए) (टिप्पण: सुनिश्चित करें कि यह उपर्युक्त (2) में कुल सकल आय में सम्मिलित है)				<b>3</b>	
<b>4</b> कुल वेतन (2 - 2क - 3)				<b>4</b>	
<b>5</b> धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)				<b>5</b>	
	क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
<b>6</b> 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)				<b>6</b>	

अनुसूची गृह संपत्ति		गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (संपत्ति का स्वामित्व दर्शित करने वाला ड्राप डाऊन उपबंधित किया जाए)					
गृह संपत्ति	<b>1</b>	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	दिश	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)						
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%) <input type="checkbox"/>						
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता		
	I						
	II						
	/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं ] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम )यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)		
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I				
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II					



	4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉप डाऊन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप डाऊन)	4ख	
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क	फर्मों से आय का शेयर	5क	
	ख	एओपी / बीओआई से आय का शेयर	5ख	
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		i	ग i	
		ii	ग ii	
		iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii
	घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ	
	5क	लाभ और हानि खाते में जमा की गई आय या प्राप्ति जो अधिनियम के अधीन कर प्रभार्य नहीं होगी	5क	
	6	शेष (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3 च - 3 छ - 4क - 4ख - 5घ - 5क)	6	
	7	लाभ तथा हानि लेखा में विकलित व्यय धारा 115खखच अथवा 115खखछ अथवा धारा 115खखज के अधीन प्रभार्य आय से संबंधित अन्य शीर्ष के अधीन परिकलित आय	क वेतन ख गृह संपत्ति ग पूंजी अभिलाभ घ अन्य स्रोत ङ धारा 115खखच के अधीन च 115खखछ के अधीन छ धारा 115खखज (अधिग्रहण की लागत से भिन्न)	7क 7ख 7ग 7घ 7ङ 7च 7छ
	8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है	8क	
	8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देने और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 16 )	8ख	
	9	कुल (7क+7ख+7ग+7घ+7ङ+7च+7छ+8क+8ख)	9	
	10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)	10	
	11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण	11	
	12	आय-कर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची अवक्षयण का स्तंभ 6)	12i	
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करें और आय-कर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii	
	iii	कुल (12i + 12ii)	12iii	
	13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
	14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 6ध)	14	
	15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओआई का 7 य)	15	
	16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 8कड)	16	

	17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओआई का 9 च)	17		
	18	पूर्ववर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं (भाग क -ओआई का 11ज)	18		
	19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज (भाग क -ओआई का 17)	19		
	20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20		
	21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35कखख / 35कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-1क के अधीन समझी गई आय	21		
	22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22		
	23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23		
	24	कोई अन्य आय, जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है/ अननुज्ञात कोई व्यय (जिसके अधीन उस फर्म से, जिसमें कोई व्यक्ति/हिंदू अविभक्त कुटुंब/स्वामित्वधारी समुत्पान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है)	24		
	25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कभी (अनुसूची गझ के स्तम्भ 3क + 4छ)	25		
	26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26		
	27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27		
	28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौतियों की रकम ( अनुसूची डधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)	28		
	29	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क- ओआई का 8ख)	29		
	30	किसी पूर्वगामी पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओआई का 10ज)	30		
	31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31		
	32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (भाग क -ओआई का स्तम्भ 3ख + 4ड)	32		
	33	कुल (27+28+29+30+31+32)	33		
	34	आय (13+26-33)	34		
	35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -			
	i	धारा 44कघ (अनुसूची लाभ हानि का 61(ii) )	35i		
	ii	धारा 44कघक (अनुसूची लाभ हानि का 62 (ii) )	35ii		
	iii	धारा 44कड (अनुसूची लाभ हानि का 63(ii) )	35iii		
	iv	धारा 44ख	35iv		
	v	धारा 44खख	35v		
	vi	धारा 44खखक	35vi		
	vix	धारा 44खखग	35vix		
	vig	धारा 44खखघ	35vig		
	vii	धारा 44घक	35vii		(प्ररूप उ ग ड की मद प)
	viii	कुल (35i से 35vii)	35viii		
	36	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)	36		

37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वक्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 का, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ङ + 37च)			क 37	
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क		
	ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख		
	ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग		
	घ	नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ		
	ङ	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ङ		
	च	नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च		
38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृषि से समझी गई आय का अतिशेष [4ख- (37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ङ.)]			38	
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना				
39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)			39	
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			40	
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां			41	
42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xix से अंक लें)			ख 42	
इ	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			43	
44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन			44	
45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ ( (i) धारा 35कछ, (ii) धारा 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न, जिस कटौती का दावा धारा 35कछ के अधीन किया गया है)			45	
46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)			46	
47	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियाँ			47	
48	अनुमानित कारबार से आय (46 - 47) (यदि हानि है तो अनुसूची सीएफएल के 7xix से अंक लें)			ग 48	
49	धारा 35कछ की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाऊन मेन्यू से चयनित की जाए)			ग 49	
उ	कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 37+ ख 42+ ग 48)				
ऊ	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष				
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई कारबार हानि	मुजरा होने के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3)=(1) - (2)
	i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क 37)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजरा होने के बाद शेष हानि (i - iv)			
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें				

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण		संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)				
संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	3	धारा 115खकग की उपधारा (3) के दूसरे उपबंध के अनुसार समायोजन (नियम 5 के प्रतिनिर्देश)				
	3	कुल (3क) + (3ख)				
	4	पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	5	3ख या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
	6	रकम, जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	7	पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
	9	रकम, जिस पर अवक्षयण आधी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है, तो शून्य लिखें)				
	10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण				
	11	9 पर आधी दर से अवक्षयण				
	12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	14	आस्ति, जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
	15	कुल अवक्षयण (10+11+12+13+14)				
	16	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तम्भ 15 में से)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)					
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)					
19	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय					

20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

**अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण**

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न, जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
			5	10	40			
			(i)	(ii)	(iii)			
2	दर (%)	कुछ नहीं						
3	पूर्ववर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्ववर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्ववर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्ववर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम, जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	6 पर पूरी दर से अवक्षयण							
11	9 पर आधी दर से अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण (10+11)							
13	आय-कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अनुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 में से)							
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 14 में से)							
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/ हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 16) (केवल तभी नकारात्मक लिखें, यदि ब्लॉक नहीं है)							
18	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य (6+ 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

**अनुसूची - आस्तियों पर अवक्षयण का सार**

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1 संयंत्र और मशीनरी		1क	1ख
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17/या 18/यथालागू)		
ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17/या 18/यथालागू)			

	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, यथालागू)	1घ		
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1 घ)			1ङ
<b>2</b>	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागू)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागू)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण 14iv या 15iv यथालागू)	2ग		
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ
<b>3</b>	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागू)				<b>3</b>
<b>4</b>	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागू)				<b>4</b>
<b>5</b>	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथा लागू)				<b>5</b>
<b>6</b>	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)				<b>6</b>

**अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के  
विक्रय पर समझा गया पूंजी  
अभिलाभ**

**अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ**

	<b>1</b>	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त उ 20i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त उ 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त उ 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
	ङ	कुल (1क+1ख+1ग+1 घ)			1ङ
<b>2</b>	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iii)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17iv)	2ग		
	घ	योग (2क+2ख+2ग)			2घ
<b>3</b>	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17v)				<b>3</b>
<b>4</b>	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)				<b>4</b>
<b>5</b>	पोत (अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण 17vii)				<b>5</b>
<b>6</b>	कुल (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)				<b>6</b>

अनुसूची इ.एस.आर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती)			
क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती की रकम	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3) - (2)	
i	35(1)(i)				
ii	35(1)(ii)				
iii	35(1)(iiक)				
iv	35(1)(iii)				
v	35(1)(iv)				
vi	35(2अअ)				
vii	35(2अआ)				
Viii	35गगग				
ix	35गगघ				
x	योग				
टिप्पण	धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iiक) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2कक) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)				

अनुसूची पूंजी अभिलाभ		पूंजी अभिलाभ					
पूंजी अभिलाभ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	अ अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (अनिवासियों के लिए उपमद 4 और 5 लागू नहीं)					
		1 भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)					
		क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	विक्री/स्थानांतरण की तारीख	तारीख/मास/वर्ष		
		क i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क i			
		ii	स्टॉक मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	क ii			
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(क ii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (क i), इन अंकों को (क i) के रूप में ले या अन्यथा (क ii) लें]	क iii			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ				
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii			
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
		ग	शेष (क iii - ख iv)		1 ग		
		घ	धारा 54ख/54छ/54छक के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		1 घ		
		ङ	स्वावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)			क 1 ड.	
		च	स्वावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)				
क्रम सं.	क्रेताओं का नाम	क्रेताओं का पैन्/आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड	राज्य
टिप्पण	यदि कर की कटौती धारा 194इक के अधीन की गई है, तो पैन्/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।						

2	गिरावट विक्रय से				
	क	i	नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कi	
		ii	नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य	2कii	
		iii	प्रतिफल का उचित मूल्य (कi या कii में से उच्चतर)	2कiii	
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति (प्ररूप 3गड.क का 6 ड.)	2ख		
	ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2 कiii - 2 ख)		क2ग	
3	ईकटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख ईकटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परन्तुक (ऊII के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है (जहां क4 लागू नहीं है)				
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य		3 क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
		iv	योग (खi + खii + खiii + खiv)	ख iv	
	ग	शेष (3क - खiv)		3 ग	
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटें प्राप्त की जाती है, तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)			3घ
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च (संदत्त एसटीटी) पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3 ग +3 घ)			क3ङ
4	अनिवासी के लिए जो एफआईआई नहीं है। - किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांश की बिक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनिमय के साथ गणना की जाय)				
	क	धारा 111क के अधीन आने वाले संव्यवहारों पर एसटीसीजी		अ4क	
	ख	क्रम सं. 4क में नहीं आने वाले शेयरों के विक्रय या बंधपत्रों के विक्रय पर एसटीसीजी		अ4ख	
5	अनिवासियों के लिए - धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (ऊपर अ3 पर से भिन्न) के विक्रय से				
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्योरे प्रविष्ट करें :-			
		क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	iक	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iख	
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग	
		ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ii	
		iii	कुल (iग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (खi + खii + खiii )	ख iv		
ग	शेष (5कiii - खiv)		5 ग		

			धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि - उदाहरण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति क्रय या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	5 घ			
			ड एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ( ऊपर अ3 से भिन्न) 5ग+5 घ)			क5ड.	
		6	ऊपर क1 या क2 या क3 या क4 या क5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से				
		क	i आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें				
			क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	i क			
			ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख			
			ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग			
			ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
			iii कुल (i ग + ii)	क iii			
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
			i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii			
			ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii			
			iii अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv			
			iv योग (ख i + ख ii + ख iii )	ख v			
		ग	शेष (6कiii - खiv)	6 ग			
		घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि -उदाहरण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	6 घ			
		ड	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीओसीजी का 6)	6 ड			
		च	धारा 54छ /54छक के अधीन कटौतियां	6 च			
		छ	ऊपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ड - 6च)			क 6 छ	
		7	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
		क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं है, यदि हाँ, तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं				
			क्रम संख्या	पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा, जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			i	2022-23	54छ /54छक		

	ii	2023-24	54ख/54छ/ 54छक								
	iii	2024-25	54ख/54छ/ 54छक								
	ख धारा 54ख/54छ/54छक के अधीन समझे गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, क से भिन्न										
	समझे गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की कुल राशि (कxi+ कxii + कxiii + ख )										क7
8	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरे) (अ8क+अ8ख+अ8ग)										क8
	क	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 20% की दर से प्रभार्य							क8क		
	ख	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य							क8ख		
	ग	अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य							क8ग		
9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है, परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए दावाकृत प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है (केवल अनिवासी पर लागू)										
	क्रम संख्या	आय की रकम	ऊपर मद सं. अ1 से अ8, जिसमें सम्मिलित हैं	देश का नाम और कोड	डी डीटी ए वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य प्रविष्ट करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) में से निम्नतर]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	क	डीटीए के अधीन एसटीसीजी दावाकृत प्रभार्य कर की कुल राशि							अ9क		
	ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से दावाकृत प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम							अ9ख		
अ(अ)	1 अक्टूबर, 2024 को या उसके पश्चात् शेषों के पुनः क्रय पर पूंजीगत हानि [अल्पकालिक पूंजीगत हानि 20%/30%/लागू दर] (केवल तभी दावा किया जा सकता है जब संबंधित डिविडेंट आय धारा 2 (22च) के अधीन अनुसूची ओएस के 1क iii या क्र. सं. 2घ/2ड. में प्रस्तावित है)										अ(अ)
10	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ1ड+अ2ग+अ3ड+अ4क+अ4ख+अ5ड+अ6छ+अ7+अ8-अ9क+अ(अ))										अ10

आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (उपमद 5, 6, 7, और 8 निवासियों के लिए लागू नहीं है)											
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए क से च तक पृथकतः ब्यौरे भरे)										
		क्रय/अधिग्रहण की तारीख	तारीख/वर्ष/मास	विक्रय/अंतरण की तारीख	तारीख/वर्ष/मास							
	क	i	प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण प्रतिफल						का			
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						काii			
	iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(काii) के (का) से गुणा न 1.10 होने की दशा में इस संख्या को(का) के रूप में ले या अन्यथा (काii) लें]						काiii				

	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख	
		ii	सूचीकरण के साथ अर्जन की लागत (केवल निम्न के लिए लागू : धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणन संबंधी प्रयोजनों के लिए निवासियों को, जहां ऐसा अर्जन और अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया जाता है)	खii	क
		ii	ख सुधार की कुल लागत	ख	
			(क) सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii	ख(क)
			(ख) सुधार वर्ष	खii	ख(ख)
			(ग) सूचीकरण के साथ सुधार लागत ख और ग केवल निम्नलिखित के लिए लागू : धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणन संबंधी प्रयोजनों के लिए निवासियों को जहां ऐसा अर्जन और अंतरण 23 जुलाई, 2024 से पहले किया जाता है)	खii	ख(ग)
			पंक्ति जोड़ें		
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
		iv	योग [खi + $\sum$ खiiख(क) + खiii]	खiv	
	ग	iv	कुल (केवल डःख की संगणना करने हेतु) (खiiक + $\sum$ खiiख(ग) + खiii) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन 23 ,जुलाई 2024 के पूर्व हुआ है)	खiv	क
		ग	शेष (कiii - खiv)	1ग	
		गक	शेष (कiii - खivक) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन ,जुलाई 23 2024 के पूर्व हुआ है) (केवल डःख की संगणना के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक होने पर शून्य माना जाएगा)	1गक	
		घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54छ /54छक के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1घ	
		ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)		ख 1 ङ
		ङक	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1गक - 1घ) (धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अधीन संगणना संबंधी प्रयोजनों के लिए नागरिकों को लागू जहां ऐसा अर्जन ,जुलाई 23 2024 के पूर्व हुआ है) (केवल डःख की संगणना के प्रयोजन के लिए) (नकारात्मक होने पर शून्य माना जाएगा)	ख1	ङक
		ङा	जहां अर्जन ,जुलाई 23 2024 के पूर्व हुआ है (केवल निवासियों के लिए) क. 112(1)(क)(ii)(ख) के अनुसार कर (1ङ*12.5%) (ख) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के प्रयोजन के लिए कर (1ङक*20%) (टिप्पण- (ङा) पर संगणित कर 'ङii में अधिक रकम पर हिसाब में न लिया जाए' का अवधारण करने के लिए है ।	ख1	ङा(क) ङा(ख)
		ङii	अधिक रकम, यदि कोई है, जो (केवल निवासियों के लिए) धारा 112(1)(क) के दूसरे परंतुक के अनुसार हिसाब में नहीं ली जानी है [ख1ङा(क)- ख1ङा(ख)]	ख1	ङii

च	स्थायर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)						
	क्रम सं.	क्रेताओं का नाम	क्रेताओं का पैन्/आधार संख्या	प्रतिशत शेयररकम	संपत्ति का पता, देश कोड, ज़िप कोड	पिन कोड एवं राज्य	
टिप्पण	यदि कर की कटौती धारा 194 झक के अधीन की गई है, तो पैन्/आधार संख्या प्रस्तुत करना आज़ापक है, । एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।						
छ	सभी स्थावर संपत्तियां पर कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (Σख1ड)				आ1छ		
ज	कुल अधिक्य कर जिस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा (Σख1डii)				आ1ज		
2	गिरावट विक्रय से						
क	i	नियम 11पकड(2) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2का		
	ii	नियम 11पकड(3) के अनुसार उचित बाजार मूल्य			2काii		
	iii	प्रतिफल का उचित मूल्य (का या काii में से उच्चतर)			2काiii		
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति (प्ररूप 3गडक का 6(ड))				2ख		
ग	शेष (2काiii - 2ख)				2ग		
घ	धारा 54डग/54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				2घ		
ड	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)				ख2ड		
3	(i) धारा 112(1) के अनुसार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी ईकाई से भिन्न ) या जीरो कूपन बंध पत्र (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी की जीडीआर के विक्रय से (केवल निवासी व्यष्टियों के लिए लागू)						
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य				3क		
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			खi		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			खiii		
	iv	योग (खi+खii+खiii)			खiv		
ग	शेष (3क - खiv)				3ग		
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				3घ		
ड	ऊपर आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, (3ग - 3घ)				आ3ड		
4	किसी कंपनी में साम्या शेयरों के विक्रय या साम्या उन्मुख निधि की यूनिटों या किसी कारबार न्यास की यूनिट का विक्रय, जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है						
	क	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [अनुसूची 112क का स्तंभ 14]			4क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			4ख		
	ग	ऊपर आ4 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जहां अंतरण (4क - 4ख)				आ4ग	
5	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के असूचीबद्ध शेयरों या सूचीबद्ध डिबेंचर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)						
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी, असूचीबद्ध शेयर और सूचीबद्ध डिबेंचर के संबंध में,			5क		

	<b>ख</b>	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5ख		
	<b>ग</b>	असूचीबद्ध शेयर या सूचीबद्ध डिबेंचर पर एलटीसीजी (5क - 5ख)		आ5ग	
6		अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या ग्लोबल निक्षेपागार रसीदों, (iii) धारा 115कघ में यथानिर्दिष्ट एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न, जिसके लिए स्तंभ आ7 भरा जाना चाहिए) के विक्रय से			
	<b>क</b>	<b>i</b>	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें		
		<b>क</b>	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	<b>क</b>	
		<b>ख</b>	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	<b>ख</b>	
		<b>ग</b>	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	<b>ग</b>	
		<b>ii</b>	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	<b>कii</b>	
		<b>iii</b>	कुल ( <b>ग + ii</b> )	<b>कiii</b>	
	<b>ख</b>	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		<b>i</b>	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	<b>खi</b>	
		<b>ii</b>	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	<b>खii</b>	
		<b>iii</b>	अंतरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	<b>खiii</b>	
		<b>iv</b>	योग ( <b>खi + खii + खiii</b> )	<b>खiv</b>	
	<b>ग</b>	शेष ( <b>कiii - खiv</b> )			<b>6ग</b>
	<b>घ</b>	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			<b>6घ</b>
	<b>ङ</b>	अनिवासियों की दशा में, ऊपर आ-6 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)			आ6ङ
7		एफआईआई/एफपीआई (अनिवासियों) के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनितों या किसी न्यास की यूनितों का विक्रय, जिस पर धारा 115कघ के साथ पठित धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है।			
	<b>क</b>	धारा 112क के अधीन एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक का स्तंभ 14]			<b>7क</b>
	<b>ख</b>	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			<b>7ख</b>
	<b>ग</b>	ऊपर आ7 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ ( <b>7क - 7ख</b> ),			आ7ग
8		अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दिया गया है)			
	<b>क</b>	(धारा 115च के अनुसार) के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना किया गया)			<b>8क</b>
	<b>ख</b>	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			<b>8ख</b>
	<b>ग</b>	विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (8क - 8ख), जहां अंतरण			<b>आ8ग</b>
9		आस्तियों के विक्रय से, जहां ऊपर आ1 से आ8 तक लागू नहीं है			
	<b>क</b>	<b>i</b>	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें		

	<b>क</b>	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	<b>क</b>		
	<b>ख</b>	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	<b>ख</b>		
	<b>ग</b>	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	<b>ग</b>		
	<b>ii</b>	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	<b>कii</b>		
	<b>iii</b>	कुल ( <b>ग + ii</b> )	<b>क iii</b>		
	<b>ख</b>	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	<b>i</b>	सूचीकरण के बिना, अर्जन की लागत	<b>खा</b>		
	<b>ii</b>	सूचीकरण के बिना, सुधार की लागत	<b>खii</b>		
	<b>iii</b>	अंतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय	<b>खiii</b>		
	<b>iv</b>	<b>योग (खा + खii + खiii)</b>	<b>खiv</b>		
	<b>ग</b>	शेष ( <b>9कiii - खiv</b> )	<b>9ग</b>		
	<b>घ</b>	धारा 54घ/54च/54छ/54छक के अधीन कटौती (मद घमें ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें)	<b>9घ</b>		
	<b>ङ</b>	ऊपर आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)	<b>आ9ङ</b>		
<b>10</b>		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	<b>क</b>	क्या नीचे दिखाये गए पूर्ववर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरा उपलब्ध करायें			
	<b>क्रम संख्या</b>	<b>पूर्ववर्ष, जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है</b>	<b>धारा, जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया</b>	<b>नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है</b>	<b>नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाते (x) में उपयोग में नहीं आई रकम</b>
	<b>i</b>	2022-23	54/54घ/ 54च/54छ/ 54छक		
	<b>ii</b>	2023-24	54/54ख/ 54घ/54च/ 54छ/ 54छक/ 54छख		
	<b>iii</b>	2024-25	54/54ख/ 54घ/54छ/ 54छक		
	<b>ख</b>	'क' से भिन्न, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई रकम		<b>ख</b>	
		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई कुल रकम ( <b>कxi+कxii+कxiii +ख</b> )		<b>आ10</b>	
<b>11</b>		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास धु आय/हानि (अनुसूची पीटीआई भरें) ( <b>आ11क1+ आ11कख</b> )		<b>आ11</b>	
	<b>क1</b>	धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास धु आय/हानि		<b>आ11क1</b>	

	क2	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य, दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास थु आय/हानि	आ11क2							
12	एलटीसीजी की रकम, जो मद आ1 से आ11 में सम्मिलित है, परंतु जिसका डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य नहीं या विशेष दरों पर प्रभार्य का दावा किया गया है (केवल अनिवासी के लिए लागू होगा)									
	क्रम संख्या	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख1 से ख11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
	क	डीटीए के अधीन कर से प्रभार्य नहीं दावाकृत एलटीसीजी की कुल रकम								आ12क
	ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य दावाकृत एलटीसीजी की कुल रकम								आ12ख
आ (अ)	वापस किए गए शेयरों पर पूंजी हानि (12.5% / (केवल तभी दावा किया जा सकता है, जब संबंधित लाभांश आय धारा 2(22)(च) के अधीन अनुसूची ओ.एस. के 1कiii या क्र.सं. 2घ/2ड. में प्रस्तावित की जाती है)								आ(अ)	
13	आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ [आ1छ + आ2ड + आ3ड + आ4ग + आ5ग + आ6ग + आ7ग + आ8ग + आ9ड. + आ10 + आ11 - आ12क + आ(अ)]								ख13	

ग1	पूंजी अभिलाभ आय की राशि (नीचे सारणी उ का 8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii)					ग
ग2	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय (अनुसूची वीडि की मद सं. ख)					ग2
ग3	“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (ग1 + ग 2)					ग3
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना					
1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54डग /54 च /54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें					
	क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती				
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष		
	ii	नये आवासीय घर की लागत	क ii			
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	क iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई		
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv			
		ivक निक्षेप की तारीख	ivख लेखा संख्याक	ivग आईएफएस कोड		
		दिदि/मामा/वाईवाईवाईवाई				
	v	दावाकृत कटौती की रकम			क v	
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती					

			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई		
			ii	नई कृषि भूमि की लागत	ख ii			
			iii	नई कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई		
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		ख iv		
				ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक			
				दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई				
			v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v			
ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती							
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई		
			ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत	ग ii			
			iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख	ग iii	दिदि/मामा/ वाईवाईवाईवाई		
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		ग iv		
				ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक			
				दिदि/मामा/वाईवाईवाईवाई				
			v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v			
घ	धारा 54ङ के अधीन दावाकृत कटौती							
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन/मास/वर्ष		
			ii	विनिर्दष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घii			
			iii	विनिधान की तारीख	घiii	दिन/मास/वर्ष		
			iv	दावाकृत कटौती की रकम	घiv			
ङ	धारा 54च के अधीन दावाकृत कटौती							
			i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ङi	दिन/मास/वर्ष		
			ii	नये आवासीय घर की लागत	ङii			
			iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	ङiii	दिन/मास/वर्ष		
			iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		ङiv		
				ivक जमा की तारीख	ivख लेखा संख्याक			
				दिदि/मामा/वाईवाई				
			v	दावाकृत कटौती की रकम	ङv			
च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती							
			i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	चi	दिन/मास/वर्ष		
			ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	चii			
			iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चiii	दिन/मास/वर्ष		



i	मुजराई की जाने वाली पूंजी हानि (इस स्तंभ को केवल तभी भरें, जब संगणित अंक नकारात्मक हों)		अ3 ड* + अ4 क* + अ8 क* + अ(अ )	अ5ड.*+अ8 ख*+अ(अ)	अ1 ड*+ अ2ग *+ अ4 ख*+ अ6छ *+ अ7* + अ8ग *+ अ(अ)	अ9 ख	(आ1छ*+ आ2ड*+ आ3ड.*+आ4ग*+आ5ग*+आ6ड.*+ आ7ग*+आ8ग*+आ9ड.*+ आ10*+आ11क1*+ आ11क2*+ आ(अ))	आ7 2ख
ii	20 %	अ3ड* + अ4क*+ अ8क*+ अ(अ)						
iii	30 %	अ5ड.*+अ8ख*+अ(अ)						
iv	अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	लागू दर	अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8ग*+ अ(अ)					
v	डी टी ए ए दर		अ9ख					
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	12.5%	(आ1छ*+ आ2ड*+ आ3ड.*+आ4ग*+आ5ग*+आ6ड.*+ आ7ग*+आ8ग*+आ9ड.*+ आ10*+आ11क1*+ आ11क2*+ आ(अ))					
vii	डी टी ए ए दर		आ7ख					
viii	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii)							
ix	मुजरा के पश्चात शेष हानि (i -viii)							
इस तालिका में एसटीसीजी के आंकड़े(क1ड* आदि) एसटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित स्तंभ (क1 से क 8) में समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा करने के पश्चात् एसटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।								
इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(ख1ड* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित स्तंभ (ख1 से ख11) में समान प्रतिभूतियों के साथ मुजरा करने के पश्चात् एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभार्य नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभार्य है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।								

च	पूंजी अभिलाभ का प्रोद्भव/ प्राप्ति के बारे में सूचना						
	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)	
1	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची ख चठक की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई						

	2	30 प्रतिशत की दर पर <b>कराधेय</b> अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ																		
	3	अनुसूची ख चठक की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई लागू दर पर <b>कराधेय</b> अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ																		
	4	अनुसूची ख चठक की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई डीटीएए दरों पर <b>कराधेय</b> अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ																		
	5	अनुसूची ख चठक की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई 12.5 प्रतिशत की दर पर <b>कराधेय</b> दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ																		
	6	अनुसूची ख चठक की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi का मूल्य दर्ज करें																		
	7	अनुसूची एस.आई की मद 17ख से मूल्य दर्ज करें (यदि कोई हो) आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण पर पूंजीगत अभिलाभ पर 30% की दर से प्रभार्य																		
	<b>टिप्पण</b>		कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।																	
	<b>अनुसूची-112क</b>		किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता																	
क्र म सं.	अर्जित शेयर/ इकाई (31 जनवरी 2024 को या उसके पूर्व/पश्चात्)	आईएस आईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाई की संख्या	प्रति शेयर/ इकाई का बिक्री -मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य, - यदि शेयर्स 31.01 .2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए	अनु क्रम न के बिना अधि ग्रह ण की लाग त (8या 9 से अधि क	अधि ग्रह ण की लाग त	यदि दीर्घाव धि पूंजीग त परिसं पत्ति का 01.02 .2018 से पहले अधिग्र हण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनव री, 2018 के प्रति शेयर/ इकाई का उचित बाजा र मूल्य	धारा 55(2) (कग) - (4*10 ) के अनुसा र पूंजीग त परिसं पत्ति का कुल उचित बाजार	अं तर ण के संबं ध में पूर्ण रू प से कि या ग या व्य य	कुल कटौ तियां (7+ 12)	शेष (6- 13) - आई टीआ र-3 की एलटी सीजी अनुसू ची की मद 5 (क)						

( स्तंभ 1 )	( स्तंभ 1क )	( स्तंभ 2 )	( स्तंभ 3 )	( स्तंभ 4 )	( स्तंभ 5 )	( स्तंभ 6 )	( स्तंभ 7 )	( स्तंभ 8 )	( स्तंभ 9 )	( स्तंभ 10 )	( स्तंभ 11 )	( स्तंभ 12 )	( स्तंभ 13 )	( स्तंभ 14 )
1						गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।								
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
योग														

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक		गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के साथ पठित धारा 115कघ(1)(ख)(iii) अधीन एसटीटी का भुगतान किया जाता है												
क्रम सं.	अर्जित शेयर/इकाई (31 जनवरी 2018 को या उसके पूर्व/पश्चात्)	आईएसएन कोड	शेयर/इकाई का नाम	शेयर/इकाई की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रति फल का पूरा मूल्य, यदि शेयर्स 31.0 1.20 18 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य)	अनुक्रम के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.0 2.20 18 से पहले अधिग्रहण किया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी, 2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)-(4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) - आईटी आर-3 की एलटी सीजी अनुसूची की मद 8 (क)

						(4*5) यदि श्रेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।								
( स्तंभ 1 )	( स्तंभ 1क )	( स्तंभ 2 )	( स्तंभ.3 )	( स्तंभ 4 )	( स्तंभ 5 )	( स्तंभ 6 )	( स्तंभ 7 )	( स्तंभ 8 )	( स्तंभ 9 )	( स्तंभ 10 )	( स्तंभ 11 )	( स्तंभ 12 )	( स्तंभ 13 )	( स्तंभ 14 )
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़ें														
योग														

अनुसूची वी.डी.ए	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय टिप्पण : प्रत्येक संव्यवहार के ब्यौरे जिसमें प्रत्येक अंतरण एक संव्यवहार है, भरे जाएंगे					
क्रम सं.	अधिग्रहण की तारीख	अंतरण की तारीख	शीर्ष जिसके अधीन आय पर कर लगे हैं ( कारबार/ पूंजी अभिलाभ)	अधिग्रहण की लागत उपहार के मामले में: क) धारा 56(2)(x) के अधीन राशि जिस पर कर चुकता किया गया है दर्ज करें। यदि कोई ख) किसी भी अन्य मामले में, पिछले मालिक को लागत	प्राप्त प्रतिफल	आभासी डिजिटल परिसंपत्ति अंतरण से आम ( हानि के मामले में शून्य दर्ज करें) (स्तंभ 6 – स्तंभ 5)
(स्तंभ 1)	(स्तंभ 2)	(स्तंभ 3)	(स्तंभ 4)	(स्तंभ 5)	(स्तंभ 6)	(स्तंभ 7)
पंक्तियां जोड़ें						
क. कुल (स्तंभ 7 की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची बीपी का मद सं. क 3छ)
ख. कुल (स्तंभ 7 के कारबार आय की समस्त सकारात्मक आय की राशि)						(अनुसूची सी.जी का मद सं. ग 2)

अनुसूची-अन्य स्रोत		अन्य स्रोतों से आय	
1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
	<b>क लाभांश, सकल (का + काii + काiii)</b>	1क	
	i ii और iii के अलावा लाभांश आय	का	
	ii धारा 2(22)(ड)के अधीन लाभांश आय	काii	
	iii धारा 2(22)(च)के अधीन लाभांश आय	काiii	
	<b>ख ब्याज, सकल(खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)</b>	1ख	
	i बचत खाते से	खा	
	ii जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी ) से	खii	
	iii आय-कर प्रतिदाय से	खiii	
	iv पास थ्रु आय की प्रकृति की आय में	खiv	
	v धारा 10(11)के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज 10(12)	खv	
	vi धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi	
	vii धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii	
	viii धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii	
	ix अन्य कंपनी एनबीएफसी और एच एफ सी से ब्याज सहित	खix	
	<b>ग मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय</b>	1ग	
	<b>घ धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)</b>	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
	<b>ङ कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)</b>	1ङ	
	क्र.सं. प्रकृति		राशि
	1 परिवार पेंशन		
	2 धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय		
	3 धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		
	4 किसी अन्य पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें धारा 89क के अधीन गत वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर छूट का दावा किया गया।		
	5 पूर्व वर्ष के दौरान धारा 56(2) (xii) में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट धारा द्वारा प्राप्त हुई कोई विनिर्दिष्ट राशि		
	6 पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय धारा 56(2) (xiii) में निर्दिष्ट किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त हुई कोई राशि, जिसके अंतर्गत लाभांश के रूप में आबंटित रकम भी		
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती		
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2कi + 2कii + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)	2	
	कi लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली, दौड़, कार्ड खेल आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	2कi	
	कii धारा 115खख के अधीन प्रभार्य ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय	2कii	

ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड	खi		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			2ग	
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ख/से घxxi का योग)			2घ	
	i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i), धारा 115 क(1) (क) (अ) के परंतुक के सिवाय अधीन प्रभार्य	घi		
	ik	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी यूनिट, विदेशी कंपनी जो धारा 80 ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है, धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन प्रभार्य, प्राप्त हुआ लाभांश	घक		
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii		
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii		
	iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv		
	v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख)के अधीन प्रभार्य	घv		
	vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi		
	vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घvii		
	viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घviii		
	ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	घix		
	x	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	घx		
	xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घxi		
	xii	प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxii		
	xiii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफ आई आई द्वारा प्राप्त ब्याज के माध्यम से आय परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घxiii		



5क	धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए आय का दावा						5क
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय [1 (डीटीएए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 4i को अंक ले जाए						6
7	अन्यस्रोतों से आय(दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	क	प्राप्तियां	8क				
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग				
	घ	धारा 59के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ				
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 10xvi के अंक प्रविष्ट करे)				8ङ	
9	"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय(7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्यलिखें)						9
10	प्रौद्भूत / अन्य स्त्रोतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना						
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16 12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टेबाजी से जीत पर आय					
	2	धारा 115खखज के अधीन ऑनलाइन खेलों से जीत द्वारा आय					
	3क	क्रम सं. 1ए(i) में संदर्भित लाभांश पर आय					
	3ख	क्रम सं. 1ए(iii) में संदर्भित लाभांश पर आय					
	4	धारा 115क(1)(क)(i)के अधीन, धारा 115क(1)(ए)(i) के अधीन 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
	5	धारा 115क(1)(क)(अ) के परंतुक के अधीन 10%की दर से लाभांश आय(जिसके अंतर्गत पीटीआई आय भी सम्मिलित है)					
	6	धारा 115कग के अधीन 10% की दर से लाभांश आय					
	7	धारा 115कगक (1)(ए) के अधीन 10% की दर से लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)					
	8	धारा 115कघ (1)(i) के अधीन 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)					

	9	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा नहीं						
	10	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभाय लाभोंश आय						
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें							

अनुसूची सी.वाई.एल.ए		चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय केव्योरे				
क्र.सं.	शीर्ष/आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबारहानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़ दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 3)	(अनुसूची बीपी की मद ड. का का 2v)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची गृह संपत्ति का 3)				
iv	कारवार से आय (विनिर्दिष्ट कारवार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची बीपी का क 37)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची बीपी की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची बीपी की मद ड का 3 iii)				
vii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iv)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8v)				
xi	12.5 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8vi)				

xii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 8vii)				
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य स्तोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस का 6)				
xiv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8इ )				
Xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्तोतो से आय	(अनुसूची ओएस का 2च)				
xvi	मुजरा की गई कुल हानि					
xvii	मुजरा करने के पश्चात शेष हानि (i - xv)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें							
	क्र.सं.	शीर्ष/आय का स्तोत	अनुसूची गमठक 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4)के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
	ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख/च गृह संपत्तिहानि)			
	iii	कारबार आय(सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख/च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि) (टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख, 44खखघ के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।	(टिप्पण : ख/च हानि का मुजरा धारा 44खख, 44खखघ के अधीन आय के सिवाय कारबार आय के लिए प्रतिबद्ध होगा।		
	iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v )	(ख/च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			
	v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi )	(ख/च या विनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
	vi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची गमठक का 5 vii)	(ख/च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
	vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख/च अल्पकालिक पूंजीहानि)			
	viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख/च अल्पकालिक पूंजीहानि)			





अनुसूची यू डी		धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते						
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xv)			(बीएफएलए का 4xv)	

अनुसूची आईसीडीएस		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव			
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	लाभ में वृद्धि(रू.)	लाभ में कमी(रू.)	कुल प्रभाव (रू.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	लेखा नीति				
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)				
III	संनिर्माण संविदाएं				
IV	राजस्व मान्यता				
V	मूर्त नियत आस्तियां				
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन				
VII	सरकारी अनुदान				
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)				
IX	उधार लेने की लागत				
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था				
XI	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X				

अनुसूची- 10कक		धारा 10कककेअधीनकटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क्र.स	उपक्रम	वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन/ सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स	कटौती की रकम
	क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक कीम द 17)
	ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56च के उपाबंधक की म द 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)			

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे							
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदारदान							
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान			
		i							
		ii							
		iii कुल							
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान							
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान			
		i							
		ii							
		iii कुल							
	ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान							
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
				नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान			
		i							
	ii								
	iii कुल								
घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदारदान								
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड	
			नकद में दान	अन्य रूप में दान	कुल दान				
	i								
	ii								
	iii कुल								

80छछक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता हो)		वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानके ब्यौरे					
क्र सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (डाप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची 80छछग		राजनैतिक दलों द्वारा किए गए अभिदाय का ब्यौरा							
क्रम सं.	तारीख	अभिदाय की रकम			अभिदाय योग्य रकम	राजनीतिक पार्टी का नाम	राजनीतिक पार्टी का पैना	यूपीआई अंतरण या चेक संख्या/आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए संव्यवहार संदर्भ संख्या	बैंक का आई एफ एस कोड
		नकद में अभिदाय	अन्य माध्यम में अभिदाय	कुल अभिदाय					
i									
	(पंक्ति जोड़े)								
	कुल अभिदाय								

अनुसूची 80घघ		आश्रित का चिकित्सकीय उपचार जो नियोग्य व्यक्ति हैं, सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती का ब्यौरा							
नियोग्यता की प्रकृति	विकलांगता का प्रकार	आश्रित का प्रकार	आश्रित का पैना	आश्रित का आधार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क(2)(ii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यूडीआईडी संख्या( यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति 2. गंभीर नियोग्यता के साथ आश्रित व्यक्ति	(1) अंधता; (2) अल्प-दृष्टि; (3) कुष्ठ-मुक्त; (4) श्रवण-बाधिता; (5) चलन-विकलांगता; (6) मानसिक मंदता; (7) मानसिक रुग्णता; (8) ऑटिज़्म; (9) सेरेब्रल पाल्सी; (10) बहु-विकलांगता।	1. पति या पत्नी 2. पुत्र 3. पुत्री 4. पिता 5. माता 6. भाई 7. बहन 8. एचयूएफ का सदस्य (एचयूएफ की दशा में)							

अनुसूची 80प अयोग्य व्यक्ति की दशा में कटौती का ब्यौरा						
नियोग्यता की प्रकृति	विकलांगता का प्रकार	प्ररूप 10।क के फाइलिंग की तारीख	फाइल किए गए प्ररूप 10।क की अभिस्वीकृति संख्या	नियम 11क(2)(ii) के अनुसार प्ररूप का स्वीकृत संख्या (यदि उपलब्ध हो)	यूडीआईडी संख्या (यदि उपलब्ध हो)	रकम
1. स्वयं से नियोग्यता 2. स्वयं की गंभीर अयोग्यता	(1) अंधता; (2) अल्प-दृष्टि; (3) कुष्ठ-मुक्त; (4) श्रवण-बाधिता; (5) चलन-विकलांगता; (6) मानसिक मंदता; (7) मानसिक रुग्णता; (8) ऑटिज़्म; (9) सेरेब्रल पाल्सी; (10) बहु-विकलांगता।					

अनुसूची द. क अनुसंधान संगमों को दान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (ii)क या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां दान की पात्र रकम]						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i						
ii						
iii	कुल					

अनुसूची- 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां						
क	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
ख	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 + क2)					

अनुसूची-80-झख धारा 80झख के अधीन कटौतियां						
धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80झख(9)]	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ख	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80झख(10)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
	ग	ऐसे उपक्रमों, जो कि फलों, सब्जियों, मांस, मांस उत्पादों, पोल्ट्री, डेयरी उत्पादों, समुद्री खाद्य के प्रसंस्करण संरक्षण	ग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	

	एवं पैकेजिंग में संलग्न है की दशा में कटौतियाँ [ धारा 80- झख (11क)]	ग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
घ	खाद्यानों,उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80झख(11 क)]	घ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ड	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 सेघ2 कायोग)				ड

अनुसूची-80-झड		धारा 80झड के अधीन कटौतियाँ				
धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ	घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ				
	कक	असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कख	अरुणचल प्रदेश	कख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कग	मणिपुर	कग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कड	मेघालय	कड 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कड 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	कज	सिक्किम	कज1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
			कज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		कझ पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (कक 1 से कछ 2 का योग)				कझ
	ख	धारा 80झड. के अधीन कुल कटौतियाँ (कज)				ख

अनुसूची-VI क		अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ		
1	भाग ख-कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
क	80ग (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्राप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	ख	80गग(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्राप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)	

ग	80गगघ(1) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		घ	80गगघ(1ख) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
ङ	80गगघ(2) (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		च	80घ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
छ	80घघ		ज	80घघख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
झ	80ङ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ञ	80ङ-ङ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
ट	80ङ-ङक(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		ठ	80ङ-ङख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
ड	80छ		ढ	80छछ(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
ण	80छछक		णा	80छछग		
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से णा का योग)						1
2 भाग ग-कतिपय आय की बावत कटौती						
	त 80- झक	(अनुसूची 80 झककाख)	थ	80- झकख		
	द 80- झख	(अनुसूची 80 झखकाङ)	ध	80- झखक		
	न 80झङ	(अनुसूची 80झङ का ड)	प	80जजक		
	फ 80जजकक	प्रपत्र 10 घक में अनुसूची में क्रम सं. 5/(अiv) +5//	ब	80थथख (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)		
	भ 80 ददख(ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)					
भाग ग के अधीन कुल कटौती (त से भ का योग)						2
3 भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती						
	i 80 ननक		ii 80ननख			
	iii 80प		iv 80गगज			
	v ई फाईलिंग यूटिलिटी के अनुसार कोई अन्य कटौती (ई फाईलिंग यूटिलिटी में उपबंधित ड्रॉप डाउन में ब्यौरा भरा जाए)					
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii, iii, iv और v का योग)						3
4 अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1+2+3 का योग)						4

अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर		धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना	
कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115जग(2)के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्ष ई के अधीन "कतिपय आय की बाबत कटौतियाँ "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क
	ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख
	ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग
	घ	कुल समायोजन(2क + 2ख + 2ग)	2घ
	3	धारा 115जग(1)के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2घ)	3
	3क	धारा 115जग(1)के अधीन आई एफ एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क
	3ख	धारा 115जग(1)के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख
	4	धारा 115जग(1)के अधीन देय कर [(9% of (3क) + 18.5% of (3ख)] (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रू. से)	4

अनुसूची-अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना				
1	निर्धारण वर्ष 2026-27 (भाग-ख-टीटीआई कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर	1				
2	निर्धारण वर्ष 2026-27 (भाग-ख- टीटीआई कुल कर आय का 2आई) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2				
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1)को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें	3				
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
क्र.सं	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
		सकल(ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा(ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
I	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
vi	2018-19					
vii	2019-20					
viii	2020-21					
ix	2021-22					
X	2022-23					
xi	2023-24					
xii	2024-25					
xiii	2025-26					
Xiv	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2, 1 से					

		अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	xv	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115अघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मदसं. 4(ग) का कुल					5	
6	पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल					6	

अनुसूची – विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल				
क्रमसं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है	
1						
2						
3						

अनुसूची विशेषदर					
क्रमसं.	धारा	☑	विशेषदर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2Aiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2Aiv)
2	115कघ(1)(ख)(ii)-परंतुक (शेयर यूनितों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है)	☐	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत्त नहीं है )	☐	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
4	112(1) परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनितों पर एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)		12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
7क	115कग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूची ण थ के 2घ का भाग)	
7ख	धारा 115कग के अधीन प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	☐	10	(अनुसूची ण थ के 2घ का भाग)	
8	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
9	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
10	115ड (विदेशी विनिमय आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
11	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी) और और अनुसूची गल के क्रम सं. ख1(ज) को हिसाब में लेते हुए उस पर कर, यदि कोई हो	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
12	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी)	☐	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एस.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)	
14	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य एल.टी.सी.जी	☐		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)	

15क	115खख (लाटरी,वर्गपहेली,दौड़,खेलआदिसेजीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ एस के 2का काभाग)
15ख	15खखख( ऑनलाईन गेम में जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ एस के 2का काभाग)
16	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओ एस के 2ख काभाग)
17	115खखज (आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>		
	क कारबार या वृत्ति से आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बीपी का क3छ)
	ख पूंजीगत लाभ शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची सीजी का ग2)
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>		
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीपी का 3ड)
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)
19	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>		
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीपी का 3च)
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ एस का 2घ)
20	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयल्टी और तकनीकी सेवा के लिए फीस सेअनिवासीकीआय)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची ण.दके2घ काभाग)
21	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्तों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बीईएलए का 5xv काभाग)
22	20% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi काभाग)
23	30% की दर पर प्रभार्य लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii काभाग)
24	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x काभाग)
25	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अधीन 12.5% की दर से प्रभार्य	<input type="checkbox"/>	12.5	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x काभाग)
26	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में डाउन डाउन दिया जाना है)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)
27	अन्य स्तों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटीमें ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ एस का 2ड)
			योग	

अनुसूची-आईएफ		उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिन में आप भागीदार हैं							
फर्म जिनमें भागीदार हैं	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं								
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्याक	क्या फर्म लेखा परीक्षक के लिए दायी है (हां/ नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां/ नहीं)	फर्म के लाभ में शायरी की प्रतिशतता	लाभ में शायरी की रकम i	देय या प्राप्ति के ब्याज की रकम ii	देय या प्राप्ति के पारिश्रमिक iii	31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष iv
1									
2									
3									
4									
5									
6	योग								

अनुसूची-छूट प्राप्त आय		छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)(केवल अनिवासियों के लिए लागू)	
1	ब्याज से आय		1
2	i शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	i	

	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
	iii	पूर्व आयकर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि				iii		
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं. 38)				iv		
	v	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)					2	
	vi	5लाख रू. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें)						
		क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है					
		ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश					
	ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)						
	घ	क्या कृषि भूमि सिचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)						
छूट प्राप्त आय	3	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					3	
	4	डीटीए के अनुसार आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है (केवल अनिवासियों के लिए लागू)						
		क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)
		I						
		II						
		III	डीटीए से कुल आय जो कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है					4
	5	कोई और आय कर दावाकृत प्रभार्य नहीं है, (अनुसूची पीटीआई)					5	
	6	योग (1+2+3+4+5)					6	

अनुसूचीपीटीआई		धारा 115प, धारा 115पक और धारा 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे								
क्रम	धारा धारा 115प/115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि (7-8=9)	ऐसी रकम पर स्त्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
पास के माध्यम से आय	1. (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			i	गृहसंपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				कii	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					
				खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
				iii	अन्य स्त्रोत					
				क	लाभांश					

					ख	अन्य					
					<b>iv</b> दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
					क	धारा <b>10(23)</b> चखख)केअ धीन					
					ख	धारा .....केअधी न					
					ग	धारा.....केअधीन					
	<b>2.</b>				<b>i</b> गृहसंपत्ति						
					<b>ii</b> पूँजी अभिलाभ						
						क	अल्पकालिक अवधि				
						क।	धारा <b>111</b> क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खां	धारा <b>112</b> क				
						खii	धारा <b>112</b> क के अलावा अन्य				
						<b>iii</b> अन्यस्त्रोत्त					
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						<b>iv</b> दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा <b>10(23)</b> चखख)के अधीन				
						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				

अनुसूची टी.पी.एस.ए

ई फाइलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार-, धारा खड 92(2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण

धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	<b>1</b>	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है					
	<b>2</b>	क	अतिरिक्त आयकर <b>18%</b> या उससे अधिक की दर पर देय होगा				
		ख	"क" पर <b>12%</b> की दर से अधिभार				
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर				
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)				
	<b>3</b>	भगतान किए गए कर					
	<b>4</b>	निवल देय कर (2घ-3)					
<b>5</b>	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
<b>6</b>	बैंक और शाखा का नाम						

	7	बीएसआर कोड						
	8	चालान की क्रम संख्या						
	9	जमा की गई राशि						

अनुसूची-आय के विदेशी स्रोत			भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)							
क्र.सं.	देश का कोड(ई फाइलिंग यूटिलिटी में उपबंधित डाउन में ब्यौरा को भरा जाए)	करदाता की पहचान संख्या	क्र.सं.	आयकाशीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख-टी आई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डीटी ए ए का सुसंगत अनुच्छेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है	
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)	
भारत से बाहर आय और कर राहत	1		i	वेतन						
			ii	गृहसंपत्ति						
			iii	कारबार या वृत्ति						
			iv	पूजी अभिलाभ						
			v	अन्य स्रोत						
				योग						
	2			i	वेतन					
				ii	गृहसंपत्ति					
				iii	कारबार या वृत्ति					
				iv	पूजी अभिलाभ					
				v	अन्य स्रोत					
				योग						

अनुसूची- टि.आर		भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)				
भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
		देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)
			योग			
	2	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत ( धारा 90 / 90 क) (1 घ) के योग का भाग)				2
	3	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत ( धारा 91)((1 घ) के योग का भाग)				3
4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय/जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें				4	
	क कर प्रतिदाय की रकम			ख निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है		

अनुसूची- वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा												
अ	अ1	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण ( अन्य लाभकारी ब्याज शामिल)												
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल ब्याज		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	(i)													
	(ii)													
	अ2	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	(i)													
	(ii)													
	अ3	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(i)														
(ii)														
अ4	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)													
क्र सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
(i)														
(ii)														
ख	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)													
	क्र सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति- सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागतपर) (रु.में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज राशि		जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
	(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

		(i)											
		(ii)											
ग	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
	(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(i)												
	(ii)												
घ	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है)												
	क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्तिकी प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदा प्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु.में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
	(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	(i)												
	(ii)												
ङ	31 दिसंबर, 2025 को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अधीन फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।												
	क्र.सं.	संस्था का नाम जिस में खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाता धारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु.में)	कृपया आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7)हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7)हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
											राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
	(1)	(2क)	(2ख)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(i)												
	(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक * *												
व	क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का	न्यासियों के	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभा	क्या आपके पास प्रोदभू	यदि (8)हां में	यदि (8)हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		

			नाम और पता	नाम और पते			ला है उसकी तारीख	त आय का कराधेय है	है, तो न्यास से प्राप्त आय	राशि	जहाँ अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा (i) जो उपरोक्त मद क से च में सम्मिलित नहीं ; और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देशकानाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6)हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
(1)	(2 क)	(2 ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	राशि	जहाँ अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(i)									
(ii)									

**टिप्पण** ▶ व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्ववर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई

अनुसूची 5क	पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी				
	पति या पत्नी का नाम				
	पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार				
	क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख या किसी अन्य उपबंध (इस अधिनियम की धारा 92ड या किसी अन्य अधिनियम के अधीन से भिन्न) के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 44 कख या किसी अन्य उपबंध (इस अधिनियम की धारा 92ड या किसी अन्य अधिनियम के अधीन से भिन्न) के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक				हाँ/नहीं
	क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92 ड के अधीन लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के अधीन धारा 92 ड के अधीन लेखा-परीक्षण आवश्यक				हाँ/नहीं
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अधीन प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टीडीएस की रकम पर	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टीडीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृहसंपत्ति				
2	कारबार या वृत्ति				
3	पूँजीअभिलाभ				
4	अन्य स्रोत				
5	योग				

अनुसूची क.ठ		वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अधीन से भिन्न)(उस दशा में जहां कुल आय 1 करोड़ रु० से अधिक है, लागू होती है)		
आस्ति और दायित्व के विवरण	क	स्थावर आस्ति का ब्यौरा		
	क्रम सं०	विवरण	पता	पिनकोड
	(1)	(2)	(3)	(4)
	(i)			
	(ii)			
	ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा		
	क्रम सं०	विवरण	रकम (लागत) रु० में	
	(1)	(2)	(3)	
	(i)	आभूषण, बुलियन आदि		
	(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति		
	(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान		
	(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) रु० में	
		(क) बैंक (जिसके अधीन सभी जमा रशियां)		
		(ख) शेयर और प्रतिभूतियां		
		(ग) बीमा पॉलिसी		
	(घ) ऋण और दिए गया अग्रिम धन			
	(ङ) हाथ नकदी			
ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज			
क्रम सं०	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारित का विनिवेश	
(1)	(2)	(3)	(4)	
(i)				
(ii)				
घ	आस्तियों (क +ख +ग) के संबंध में दायित्व			
अनुसूची जी.एस.टी		जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना		
जी.एस.टी का	क्रम. सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य	
	(1)	(2)	(3)	
टिप्पण		कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।		

अनुसूची: ई.एस.ओ.पी पर कर स्थगन		कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-इककग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते				
विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि	
				<p>ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए</p> <p>स्तंभ 3के ऐसे बिक्री का कर गुण का तारीख व राशि का वर्णन करें</p> <p>(उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)</p>	<p>नियोक्ता के कर्मों होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ?</p> <p>o हां o नहीं</p>	<p>उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, आबंटन की तारीख स्पष्ट करें</p>
					स्तंभ (3-7)	

					यदि हां, तारीख बताएं			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8			(निर्धारण वर्ष 2027-28 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में देय)		
	2	2022-23	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	3	2023-24	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	4	2024-25	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	5	2025-26	पिछले वर्ष के लिए अनुसूची ई.एस.ओ.पी का क्रम सं. 8					
	6	2026-27						

## भाग-ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना	
कुल आय	1	वितन( अनुसूची ध का 6)	1
	2	गृह संपत्ति से आय(अनुसूची-गृहसंपत्ति का 3)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2
	3	<b>कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ</b>	
	i	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.व.काक37)	3i
	ii	सट्टे के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची गचठ से अंक लें )	3ii
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूचि ख.त. के 3ड, 3च और 3छ)	3iv
	V	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें)	3v
	4	<b>पूँजीअभिलाभ</b>	
	क	अल्पकालिक	
	i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूची सीजी की मद ड का 8ii)	क i
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूची सीजी की मद ड का 8iii)	क ii
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य(अनुसूची सीजी की मद ड का 8iv)	क iii
	iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि सीजीके मद ड का 8v)	क iv
	v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii + क iv)(यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क v
	ख	दीर्घकालिक	
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 12.5% (अनुसूची सीजी की मद ड का 8vi )	ख i
	ii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजीके मद ड का 8vii)	ख ii
	iii	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii) (यदि हानि है तो शून्य भरे )	4ख iii
	ग	अल्पकालिक/दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ की राशि (4क v + 4ख iii) (यदि हानि तो शून्य दर्ज करें)	
घ	धारा 115खखज के अधीन 30% की दर से प्रभार्य पूँजीगत अभिलाभ (अनुसूची सी.जी का ग 2)		4घ
ङ	कुल पूँजीगत अभिलाभ (4ख + 4घ)		4ङ
5	<b>अन्य स्रोतों से आय</b>		
क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क	
ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय( अनुसूची णध का 2 )	5 ख	
ग	घुडदोड के स्वामिस्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूची णध का 8ड) ( यदि हानि है तो शून्य भरे )	5 ग	
घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) ( यदि हानि है तो शून्य भरे )		5 घ
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v + 4ङ + 5 घ)		6
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां(अनुसूची गमठक चालू वर्ष की हानि के 2xvi, 3xvi और 4xvi कायोग)		7
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलएके स्तंभ 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv)		8

9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची खचठक के 2xv,3xv और 4xv का योग)	9
10	सकल कुल आय(8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के स्तंभ 5 के क्रम संख्या (i) से (xiii) का योग+ 5ख + 3iv)	10
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है	11
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ	
	क अनुसूची 6क का भाग ख, गक और घ [अनुसूची 6कका (1+3) और (बीएफएलए के स्तंभ 5 का i + ii + iii + iv + v + viii + xii + xiii )तक सीमित ]	12क
	ख अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित ]	12ख
	ग कुल(12क + 12ख)(10-11) तक सीमित)	12ग
13	धारा 10 कक के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 कक का ग)	13
14	कुल आय (10 -12ग -13)	14
15	आय जो 14 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)	15
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/ कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3)	16
17	कुल आय (14-15+16)(लागू होगा यदि(14-15)अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां( अनुसूची गचठ की पंक्ति xix का योग )	18
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)	19

## भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व

## कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)	1क	
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर	1ग	
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर(ह)उ पर( 1क +1ख +1 ग )	1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
		क	भाग ख-टी आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख	विशेष दरों पर कर(अनुसूची दझ का (ii) का योग)	2ख	
		ग	कृषि आय पर रिबेट (लागू होगा यदि (भाग ख-टी आई कुल आय का(14-15)अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग	
		घ	कुल आय पर संदेय कर( 2क + 2ख- 2ग)	2घ	
		ड	धारा 87क के अधीन रिबेट	2ड	
	च	रिवेट के पश्चात संदेय कर ( 2घ - 2 ड)	2च		
	छ	अधिभार	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार	2छ
		i अनुसूची धझ के 16(ii) का @25 प्रतिशत	2छi	iक	
		ii 10% या 15% पर लागू	2छ ii	iiक	



	11	संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	11					
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)	12					
	13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)	हां या नहीं का चयन करें					
	i.	क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)						
बैंक खाता		क्रमसं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता का प्रकार (ई फाईलिंग द्वारा उपबंधित ड्रापडाउन)	प्रत्यय वापसी के लिए खाता चयन करें	
		i						
		ii						
		नोट: 1. सभी बैंक खाते, सिवाय निष्क्रिय खाता के, किसी भी समय रखे गए सभी बैंक खातों की सूचना दी जानी चाहिए। 2. बहुविध खातों का चयन करने के मामले में, प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के पश्चात् विधिमान्य खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।						
		आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है						
		ii.	ख) गैर-निवासी, उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं					
			क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएएन	
			1.					
		14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अधीन किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)					□हां□नहीं
		15	यदि विवरणीकर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:					
		कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.			कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम		कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर	
		यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम					16	
	17	अनुसूची-आयकर						
		क	आय-करके अग्रिमकर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे					
		कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम(रू.)	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			i					
			ii					
			iii					
			iv					

		<b>टिप्पण ▶</b>	भाग ख-टीटी आई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।			
	ख		वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]			
	वेतन स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या(टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		i				
		ii				
		<b>टिप्पण ▶</b>	कृपया <b>भाग ख-टीटीआई</b> के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का <b>योग प्रविष्ट करें।</b>			

ccc cc	ग cc	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप 16 कया प्ररूप 16ख/16ग/16घ/ 16ड के अनुसार]												
		क्रम सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.( धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 37 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/आ धार संख्या( यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	वह धारा जिस के अधीन टी.डी.एस की कटौती जाती है	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2025-64 के दौरान टी.डी.एस कटौती)	इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194ढ के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण	टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणी त किया जा रहा			
ccc टी.डी.एस cc						वित्तीय वर्ष जिस में कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 37ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति/पत्नी या नियम 37 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल आय का शीर्ष		
	(1)	(2)	(3)	(4क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस	पैन/आधार संख्या		
	i													
		<b>टिप्पण ▶</b> कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग - ख -टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।												

घ स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)										
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति संबंधित जमा टी.सी.एस [धारा 5क के अनुसार पति/ पत्नी धारा 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	अन्य व्यक्ति का पैना(यदि टी.सी.एस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित	अग्रणीत किया गया अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्तीय वर्ष का टी.सी.एस		इस वर्ष में दावा किया गया जमा टी.सी.एस		टी.सी.एस जमा आगे लाया गया
				वित्तीय वर्ष जिस में संग्रहण किया गया	रकम बी/एफ	स्वयं संग्रहित किया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा संग्रहित अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा(यदि लागू हो)	स्वयं दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी द्वारा दावा किया गया अथवा नियम 37i(1) के अनुसार अन्य व्यक्ति द्वारा (यदि लागू हो)	
(1)	(2i)	(2ii)	(3)	(4)	(5)	(6i)	(6ii)	(7i)	(7ii)	(8)
i									टी.सी.एस	पैन
ii										
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें ।										

#### सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है । मैं यह और घोषणा करता / करती हूँ कि मैं..... (ड्राप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ / रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

तारीख	स्थान	हस्ताक्षर "":।
-------	-------	----------------

[सं. 47/2026/फा.सं. 370142/7/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.कानि., 227(अ) तारीख 30 मार्च, 2026 द्वारा किया गया ।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2026

**G.S.R. 228(E).**—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 2026;  
(2) They shall come into force with effect from the 31<sup>st</sup> day of March, 2026 and shall apply in respect of returns filed for A.Y. 2026-27.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, for FORM ITR-3, the following FORM shall be substituted, namely: —

<b>FORM ITR- 3</b>	<b>INDIAN INCOME TAX RETURN</b> (For individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession) (Please see rule 12 of the Income-tax Rules,1962)	Assessment Year					
		2	0	2	6	-	2 7

<b>PERSONAL INFORMATION</b>	(A1) First name	(A2) Middle name	(A3) Last name	(A4) PAN					
	Addresses to be provided for communication purposes:			(A14) Status (Tick) <input type="checkbox"/>					
	Primary Address: (A5a) Flat/Door/Block No. (A6a) Name Of Premises/Building/Village (A7a) Road/Street/Post Office (A9a) Area/locality (A10a) Town/City/District (A11a) State (A12a) PIN code/ZIP code (A13a) Country			<input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF					
	Secondary Address: (A5b) Flat/Door/Block No. (A6b) Name Of Premises/Building/Village (A7b) Road/Street/Post Office (A9b) Area/locality (A10b) Town/City/District (A11b) State (A12b) PIN code/ZIP code (A13b) Country			(A15) Date of Commencement of Business (DD/MM/YYYY)					
	Details to be provided for communication purposes:			(A16) Aadhaar Number (12 digits)					
	(A17) Residential/Office Phone Number with STD code/Primary Mobile No. of the taxpayer			(A8) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)			Secondary Mobile No.		
	(A18) Primary Email ID of the taxpayer			Secondary Email ID					
	Due Date for filing return of income [Dropdown to be provided] :								
	A(19) (ai)	1. 31st August 2. 31st October 3. 30th November							
	<b>FILING STATUS</b>	(A19) (a)	Filed u/s (Tick)		<input type="checkbox"/> 139(1)- On or Before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)- After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)- Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- After condonation of delay				
		Or Filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C					
A19(b)		Do you have income from business or profession for current Assessment Year? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No  (I) If answer to A19(b) is Yes, have you filed ITR 3/4 and have filed form10IEA within due date for any earlier assessment year for choosing old tax regime? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (A) If answer to (I) is yes, then i. Furnish form 10IEA acknowledgement number and assessment year for which this form for choosing old tax regime was filed. ii. Have you filed ITR 3/4 in past and have re-entered new tax regime by filing form 10IEA for any assessment year subsequent to assessment year in which first form 10IEA was filed for choosing old tax regime? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							

	<p>(a) If answer to (I)(A)(ii) is Yes, provide the acknowledgement number of second form 10IEA and assessment year for which this form for choosing new tax regime was filed, and furnish ITR in new tax regime.</p> <p>(b) If answer to (I)(A)(ii) is No, have you furnished form 10IEA for re-entering in new tax regime in current assessment year? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>(b)(i) If yes, then provide the acknowledgement number of form 10IEA and furnish ITR in new tax regime,</p> <p>(b)(ii) If No, then furnish ITR in old tax regime.</p> <p>(B) If answer to (I) is No, have you furnished form 10IEA within due date for current assessment year for choosing old tax regime? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p>i. If answer to (I)(B) is Yes, provide the acknowledgement number of form 10IEA, and then furnish return in old tax regime,</p> <p>ii. If answer to (I)(B) is No, furnish ITR in new tax regime.</p> <p>(II) If answer to A19(b) is No, do you wish to opt for old tax regime for the current Assessment Year? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> <p><b>Note-</b> The default regime under section 115BAC(1A) is the 'new regime'. 'Old regime' can be chosen by opting out of new regime u/s. 115BAC(6) by filing form 10IEA, which should be exercised on or before the due date for furnishing the return of income u/s 139(1).</p>	
(c)	<p><b>Are you filing return of income under seventh proviso to Section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? – (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</b></p> <p><b>If yes, please furnish following information</b></p> <p>[Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]</p>	
(ci)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(cii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(ciii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)
(civ)	Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)	(Tick) o Yes o No
(d)	If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	/ /
(e)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	(unique number) / /
(f)	<b>Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)</b>	<b>A. Resident</b>
		<input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)]
		<input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable]
		<input type="checkbox"/> You are a citizen of India, who left India, for the purpose of employment, as a member of the crew of an Indian ship and were in India for 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years [Explanation 1(a) of section (6)(1)(c)]
		<input type="checkbox"/> You are a citizen of India or a person of Indian origin and have come on a visit to India during the previous year and were in India for a) 182 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years; or

				b) 120 days or more during the previous year and 365 days or more within the preceding 4 years if the total income, other than income from foreign sources, exceeds Rs. 15 lakh. [Explanation 1(b) of section (6)(1)(c)]
			<b>B. Resident but not Ordinarily Resident</b>	<input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)]
				<input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]
				<input type="checkbox"/> You are a citizen of India or person of Indian origin, who comes on a visit to India, having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh and have been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year [section 6(6)(c)]
				<input type="checkbox"/> You are a citizen of India having total income, other than the income from foreign sources, exceeding Rs. 15 lakh during the previous year and not liable to tax in any other country or territory by reason of your domicile or residence or any other criteria of similar nature [section 6(6)(d) rws 6(1A)]
			<b>C. Non-resident</b>	<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year.
				(i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -
			S.No.	Jurisdiction of residence
			1	
			2	
				(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -
			Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)
			<b>Residential Status in India (for HUF)</b> (Tick applicable option)	<input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident <input type="checkbox"/> Non-resident
(g)			Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
(h)			Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? (Tick) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)	
(i)			Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, furnish following information -	
	(1)	Name of the representative assessee		
	(2)	Email-ID of the representative assessee		
	(3)	Contact number of the representative assessee		
(j)			Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
			If yes, please furnish following information -	
	Name of Company	Type of Company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted
				Director Identification Number (DIN)
(k)			Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	If yes, please furnish following information
	Name of Firm		PAN	

(l)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(m)	In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													

	In the case of non-resident, is there a Significant Economic Presence (SEP) in India (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No please provide details of		
(n)	(a) aggregate of payments arising from the transaction or transactions during the previous year as referred in Explanation 2A(a) to Section 9(1)(i) (b) number of users in India as referred in Explanation 2A(b) to Section 9(1)(i).		
(o)	Whether assessee has a unit in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
(p)	Whether you are an FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No		
(q)	Legal Entity Identifier (LEI) details (mandatory if refund is 50 Crores or more)		
	LEI Number		Valid upto date

AUDIT INFORMATION	A20	a1	Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
		a2	Whether assessee is declaring income only under section 44AE/44B/44BB/44AD/44ADA/44BBA/44BBC/44BBD <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
		a2i	Please select the range of total sales/turnover/gross receipts of business <input type="checkbox"/> Up to Rs. 1 crore <input type="checkbox"/> More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores <input type="checkbox"/> More than Rs. 10 crores		
		a2ii	If "More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores" option is selected at a2i, please select the percentage of amounts received in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate receipts during the previous year <input type="checkbox"/> Up to 5% <input type="checkbox"/> More than 5% (Note: If this percentage is more than 5%, you are liable for audit u/s. 44AB)		
		a2iii	If "More than Rs. 1 crore and up to Rs. 10 crores" option is selected at a2i, please select the percentage of payments made in cash & non a/c payee cheque/ bank draft out of the aggregate payments made during the previous year <input type="checkbox"/> Up to 5% <input type="checkbox"/> More than 5% (Note: If this percentage is more than 5%, you are liable for audit u/s. 44AB)		
		(b)	Are you liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
			If Yes is selected at (b), mention by virtue of which of the following conditions:		
		(bi)	Sales, turnover or gross receipts exceeds the limits specified under section 44AB (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>		
		(bii)	Assessee falling u/s 44AD/44ADA/44AE/44BB but not offering income on presumptive basis (Tick applicable section) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 44AD, <input type="checkbox"/> 44ADA, <input type="checkbox"/> 44AE, <input type="checkbox"/> 44BB		
		(biii)	Others (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>		
		(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information below		
			(1)	Date of furnishing of audit report (DD/MM/YYYY)	
			(2)	Acknowledgement number of the audit report	
			(3)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	
			(4)	PAN/ Aadhaar No. of the proprietorship/ firm	
	(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	(dii)	If (di) is Yes, Whether the accounts have been audited u/s 92E?		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
				<u>Date of furnishing the audit report?</u> DD/MM/YY	
	(diii)	If liable to furnish other audit report, mention whether have you furnished such report. If yes, please provide the details as under:			
		Sl. No.	Section Code	Date (DD/MM/YYYY)	
				Acknowledgement number	
	(e)	If liable to audit under any Act other than the Income-tax act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?			
		Act and section	(DD/MM/YY)	Act and section (DD/MM/YY)	

NATURE OF BUSINESS		NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION, IF MORE THAN ONE BUSINESS OR PROFESSION INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS (OTHER THAN THOSE DECLARING INCOME UNDER SECTIONS 44AD, 44ADA AND 44AE)		
S.No.	Code	Trade name of the proprietorship, if any	Description	
(i)				
(ii)				
(iii)				

Part A-BS		BALANCE SHEET AS ON 31 <sup>ST</sup> DAY OF MARCH, 2026 OF THE PROPRIETORY BUSINESS OR PROFESSION (fill items below in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill item 6)			
SOURCES OF FUNDS	1 Proprietor's fund				
	a	Proprietor's capital			a
	b	Reserves and Surplus			
		i Revaluation Reserve	bi		
		ii Capital Reserve	bii		
		iii Statutory Reserve	biii		
		iv Any other Reserve	biv		
		v Total (bi + bii + biii + biv)			bv
	c	Total proprietor's fund (a + bv)			1c
	2 Loan funds				
	a	Secured loans			
		i Foreign Currency Loans	ai		
		ii Rupee Loans			
		A From Banks	iiA		
		B From others	iiB		
		C Total (iiA + iiB)	iiC		
		iii Total (ai + iiC)			aiii
	b	Unsecured loans (including deposits)			
		i From Banks	bi		
		ii From others	bii		
	iii Total (bi + bii)			biii	
c	Total Loan Funds (aiii + biii)			2c	
3 Deferred tax liability				3	
4 Advances					
i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	i			
ii	From others	ii			
iii	Total Advances (i + ii)			4iii	
5 Sources of funds (1c + 2c +3+4iii)				5	

APPLICATION OF FUNDS	<b>1 Fixed assets</b>			
	<b>a</b>	<b>Gross: Block</b>	<b>1a</b>	
	<b>b</b>	<b>Depreciation</b>	<b>1b</b>	
	<b>c</b>	<b>Net Block (a – b)</b>	<b>1c</b>	
	<b>d</b>	<b>Capital work-in-progress</b>	<b>1d</b>	
	<b>e</b>	<b>Total (1c + 1d)</b>	<b>1e</b>	
	<b>2 Investments</b>			
	<b>a</b>	<b>Long-term investments</b>		
	<b>i</b>	<b>Government and other Securities - Quoted</b>	<b>ai</b>	
	<b>ii</b>	<b>Government and other Securities – Unquoted</b>	<b>aaii</b>	
	<b>iii</b>	<b>Total (ai + aaii)</b>	<b>aiii</b>	
	<b>b</b>	<b>Short-term investments</b>		
	<b>i</b>	<b>Equity Shares, including share application money</b>	<b>bi</b>	
	<b>ii</b>	<b>Preference Shares</b>	<b>bii</b>	
	<b>iii</b>	<b>Debentures</b>	<b>biii</b>	
	<b>iv</b>	<b>Total (bi + bii + biii)</b>	<b>biv</b>	
	<b>c</b>	<b>Total investments (aiii + biv)</b>	<b>2c</b>	
	<b>3 Current assets, loans and advances</b>			
	<b>a</b>	<b>Current assets</b>		
	<b>i</b>	<b>Inventories</b>		
	<b>A</b>	<b>Stores/consumables including packing material</b>	<b>iA</b>	
	<b>B</b>	<b>Raw materials</b>	<b>iB</b>	
	<b>C</b>	<b>Stock-in-process</b>	<b>iC</b>	
	<b>D</b>	<b>Finished Goods/Traded Goods</b>	<b>iD</b>	
	<b>E</b>	<b>Total (iA + iB + iC + iD)</b>	<b>iE</b>	
	<b>ii</b>	<b>Sundry Debtors</b>	<b>aii</b>	
	<b>iii</b>	<b>Cash and Bank Balances</b>		
	<b>A</b>	<b>Cash-in-hand</b>	<b>iiia</b>	
	<b>B</b>	<b>Balance with banks</b>	<b>iiib</b>	
	<b>C</b>	<b>Total (iiia + iiib)</b>	<b>iiic</b>	
	<b>iv</b>	<b>Other Current Assets</b>	<b>aiv</b>	
	<b>v</b>	<b>Total current assets (iE + aii + iiic + aiv)</b>	<b>av</b>	
	<b>b</b>	<b>Loans and advances</b>		
	<b>i</b>	<b>Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received</b>	<b>bi</b>	
	<b>ii</b>	<b>Deposits, loans and advances to corporates and others</b>	<b>bii</b>	
	<b>iii</b>	<b>Balance with Revenue Authorities</b>	<b>biii</b>	
	<b>iv</b>	<b>Total (bi + bii + biii)</b>	<b>biv</b>	
	<b>c</b>	<b>Total of current assets, loans and advances (av + biv)</b>	<b>3c</b>	
	<b>d</b>	<b>Current liabilities and provisions</b>		
	<b>i</b>	<b>Current liabilities</b>		
	<b>A</b>	<b>Sundry Creditors</b>	<b>iA</b>	
<b>B</b>	<b>Liability for Leased Assets</b>	<b>iB</b>		
<b>C</b>	<b>Interest Accrued on above</b>	<b>iC</b>		
<b>D</b>	<b>Interest accrued but not due on loans</b>	<b>iD</b>		

NO ACCOUNT CASE		E	Total (iA + iB + iC + iD)		iE		
		ii	Provisions				
		A	Provision for Income Tax	iiA			
		B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB			
		C	Other Provisions	iiC			
		D	Total (iiA + iiB + iiC)		iiD		
		iii	Total (iE + iiD)		diii		
		e	Net current assets (3c – diii)		3e		
	4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a			
		b	Deferred tax asset	4b			
		c	Profit and loss account/ Accumulated balance	4c			
		d	Total (4a + 4b + 4c)		4d		
		5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e +4d)		5		
	6	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained - (furnish the following information as on 31 <sup>st</sup> day of March, 2026, in respect of business or profession)					
		a	Amount of total sundry debtors		6a		
	b	Amount of total sundry creditors		6b			
	c	Amount of total stock-in-trade		6c			
	d	Amount of the cash balance		6d			

<b>Part A- Manufacturing Account</b>		<b>Manufacturing Account for the financial year 2025-26</b> (fill items 1 to 3 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)			
	1	Debits to manufacturing account			
		Opening Inventory			
	A	i	Opening stock of raw-material	i	
		ii	Opening stock of Work in progress	ii	
		iii	Total (i + ii)		Aiii
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B
	C	Direct wages			C
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)			D
		i	Carriage inward	i	
		ii	Power and fuel	ii	
		iii	Other direct expenses	iii	
	E	Factory Overheads			
		I	Indirect wages	i	
		ii	Factory rent and rates	ii	
		iii	Factory Insurance	iii	
		iv	Factory fuel and power	iv	
		v	Factory general expenses	v	
		vi	Depreciation of factory machinery	vi	
		vii	Total ( i + ii + iii + iv + v + vi)		Evii
	F	Total of Debits to Manufacturing Account ( Aiii + B + C + D + Evii)			1F
	2	Closing Stock			
		i	Raw material	2i	
		ii	Work-in-progress	2ii	
		Total (2i +2ii)			2
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			3

Part A- Trading Account		Trading Account for the financial year 2025-26 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)			
CREDITS TO TRADING ACCOUNT	<b>4</b>	<b>Revenue from operations</b>			
	<b>A</b>	<b>Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)</b>			
	<b>i</b>	Sale of goods	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	Sale of services	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	Other operating revenues (specify nature and amount)			
	<b>a</b>		<b>iiia</b>		
	<b>b</b>		<b>iiib</b>		
	<b>c</b>	Total (iiia + iiib)	<b>iiic</b>		
	<b>iv</b>	Total (i + ii + iiic)	<b>Aiv</b>		
	<b>B</b>	<b>Gross receipts from Profession</b>			<b>B</b>
	<b>C</b>	<b>Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied</b>			
	<b>i</b>	Union Excise duties	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	Service tax	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	VAT/ Sales tax	<b>iii</b>		
<b>iv</b>	Central Goods & Service Tax (CGST)	<b>iv</b>			
<b>v</b>	State Goods & Services Tax (SGST)	<b>v</b>			
<b>vi</b>	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	<b>vi</b>			
<b>vii</b>	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	<b>vii</b>			
<b>viii</b>	Any other duty, tax and cess	<b>viii</b>			
<b>ix</b>	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)	<b>Cix</b>			
<b>D</b>	<b>Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)</b>			<b>4D</b>	
<b>5</b>	<b>Closing Stock of Finished Goods</b>			<b>5</b>	
<b>6</b>	<b>Total of credits to Trading Account (4D + 5)</b>			<b>6</b>	
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	<b>7</b>	<b>Opening Stock of Finished Goods</b>			<b>7</b>
	<b>8</b>	<b>Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)</b>			<b>8</b>
	<b>9</b>	<b>Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)</b>			<b>9</b>
	<b>i</b>	Carriage inward	<b>9i</b>		
	<b>ii</b>	Power and fuel	<b>9ii</b>		
	<b>iii</b>	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	<b>9iii</b>		
	<b>10</b>	<b>Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased</b>			
	<b>i</b>	Custom duty	<b>10i</b>		
	<b>ii</b>	Counter veiling duty	<b>10ii</b>		
	<b>iii</b>	Special additional duty	<b>10iii</b>		
	<b>iv</b>	Union excise duty	<b>10iv</b>		
	<b>v</b>	Service tax	<b>10v</b>		
	<b>vi</b>	VAT/ Sales tax	<b>10vi</b>		
	<b>vii</b>	Central Goods & Service Tax (CGST)	<b>10vii</b>		
<b>viii</b>	State Goods & Services Tax (SGST)	<b>10viii</b>			
<b>ix</b>	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	<b>10ix</b>			
<b>x</b>	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	<b>10x</b>			
<b>xi</b>	Any other tax, paid or payable	<b>10xi</b>			

	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii	
11		Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account	11	
12		Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)	12	
12a		Turnover from Intraday Trading	12a	
12b		Income from Intraday Trading - transferred to Profit and Loss account	12b	
12c		Turnover from Futures & Options Trading	12c	
12d		Income from Futures & Options Trading - transferred to Profit and Loss account	12d	

Part A-P & L		Profit and Loss Account for the financial year 2025-26 (fill items 13 to 60 & 66 in a case where regular books of account are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)			
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account (12+12b+12d)			13
	14	Other income			
		i	Rent	i	
		ii	Commission	ii	
		iii	Dividend income	iii	
		iv	Interest income	iv	
		v	Profit on sale of fixed assets	v	
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi	
		vii	Profit on sale of other investment	vii	
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii	
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix	
		x	Agricultural income	x	
		xi	Any other income (specify nature and amount)		
			a	xia	
		b	xib		
		C	Total (xia + xib)	xic	
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward			16
	17	Consumption of stores and spare parts			17
	18	Power and fuel			18
	19	Rents			19
	20	Repairs to building			20
	21	Repairs to machinery			21
	22	Compensation to employees			
		i	Salaries and wages	22i	
		ii	Bonus	22ii	
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii	
	iv	Leave encashment	22iv		
	v	Leave travel benefits	22v		
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
	ix	Contribution to any other fund	22ix		

	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No	
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
23	Insurance				
	i	Medical Insurance	23i		
	ii	Life Insurance	23ii		
	iii	Keyman's Insurance	23iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	Workmen and staff welfare expenses				24
25	Entertainment				25
26	Hospitality				26
27	Conference				27
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28
29	Advertisement				29
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			30iii
31	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			31iii
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			32iii
33	Hotel, boarding and Lodging				33
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34
35	Foreign travelling expenses				35
36	Conveyance expenses				36
37	Telephone expenses				37
38	Guest House expenses				38
39	Club expenses				39
40	Festival celebration expenses				40
41	Scholarship				41
42	Gift				42
43	Donation				43
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		

	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x		
	45	Audit fee		45	
	46	Other expenses (specify nature and amount)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	Total (i + ii)		46iii	
	47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)			
	i1		47 i1		
	i2		47 i2		
	i3		47 i3		
	i	Rows can be added as required Total (47i1+47i2+47i3)	47i		
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)	47ii		
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)	47iii		
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)		47iv	
	48	Provision for bad and doubtful debts		48	
	49	Other provisions		49	
	50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47 iv + 48 + 49)]		50	
	51	Interest			
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		51iii	
	52	Depreciation and amortization		52	
	53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)		53	
	54	Provision for current tax		54	
	55	Provision for Deferred Tax		55	
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)		56	
	57	Balance brought forward from previous year		57	
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)		58	
	59	Transferred to reserves and surplus		59	
	60	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (58 – 59)		60	
	61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD			
		SR.NO	Name of Business	Business code	Description
		(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (iA + iB + iC) (61i limited to Rs.2 Crores, however if 61iB + 61iC is less than or equal to 5% of 61i then the limit under 61i is extended to Rs.3 Crores.)	61i	

		A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date	ia				
		B	Receipts in Cash	ib				
		C	Any mode other than A and B	ic				
	(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iiA + iiB)					61ii	
		A	6% of 61iA, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiA				
		B	8% of (61iB+61iC), or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iiB				
<p><i>NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB</i></p>								
<b>62 COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA</b>								
	SR.NO	Name of Business/Profession		Business code	Description			
	(i)	Gross Receipts (62i limited to Rs.50 Lakh, however if 62iB + 62iC is less than or equal to 5% of 62i then limit under 62i is extended to Rs.75 Lakh)				62i		
		A	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date	ia				
		B	Receipts in Cash	ib				
		C	Any mode other than A and B	ic				
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 62i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)				62ii		
<p><i>NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB</i></p>								
<b>63 COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE</b>								
	SR.NO	Name of Business		Business code	Description			
		<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/leased/hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>		
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	(a)							
	(b)							
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)								
	Total							
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 63(i)]				63(ii)		
<p><i>NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of account and have a tax audit under section 44AB</i></p>								
NO ACCOUNT CASE	<b>64 IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2025-26 in respect of business or profession -</b>							
	(i)	For assessee carrying on Business						
	a	Gross receipts (a1 + a2)				ia		
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date			a1		
		2	Any other mode			a2		
	b	Gross profit				ib		
	c	Expenses				ic		
d	Net profit					64i		

		<b>(ii) For assessee carrying on Profession</b>				
		<b>a</b>	Gross receipts (a1 + a2)	<b>iii a</b>		
		<b>1</b>	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date	<b>a1</b>		
		<b>2</b>	Any other mode	<b>a2</b>		
		<b>b</b>	Gross profit	<b>ii b</b>		
		<b>c</b>	Expenses	<b>ii c</b>		
		<b>d</b>	Net profit		<b>64ii</b>	
		<b>(iii) Total profit (64i + 64ii)</b>				<b>64iii</b>
	<b>65</b>	<b>i</b>	Turnover from speculative activity		<b>65i</b>	
		<b>ii</b>	Gross Profit		<b>65ii</b>	
		<b>iii</b>	Expenditure, if any		<b>65iii</b>	
		<b>iv</b>	Net income from speculative activity (65ii-65iii)		<b>65iv</b>	
	<b>66</b>	In case of Non-Resident, if the total income comprises of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA, 44BBC, 44BBD, furnish the following information				
		<b>i</b>	Gross receipts / Turnover		<b>66i</b>	
		<b>ii</b>	Net profit		<b>66ii</b>	

<b>Part A-OI</b>		<b>Other Information</b> (mandatory if liable for audit under section 44AB; for others, fill if applicable)			
<b>OTHER INFORMATION</b>	<b>1</b>	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash			
	<b>2</b>	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	<b>3a</b>	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI (3) of Schedule ICDS]	<b>3a</b>		
	<b>3b</b>	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column XI(4) of Schedule ICDS]	<b>3b</b>		
	<b>4</b>	Method of valuation of closing stock employed in the previous year			
		<b>a</b>	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
		<b>b</b>	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
		<b>c</b>	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
		<b>d</b>	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	<b>4d</b>	
		<b>e</b>	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	<b>4e</b>	
		<b>5</b>	Amounts not credited to the profit and loss account, being -		
			<b>a</b>	the items falling within the scope of section 28	<b>5a</b>
			<b>b</b>	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	<b>5b</b>
			<b>c</b>	escalation claims accepted during the previous year	<b>5c</b>
			<b>d</b>	any other item of income	<b>5d</b>
			<b>e</b>	capital receipt, if any	<b>5e</b>
			<b>f</b>	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	<b>5f</b>
		<b>6</b>	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses		
		<b>a</b>	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	<b>6a</b>	
		<b>b</b>	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	<b>6b</b>	

	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iiia)]	6e		
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
	j	Amount of contributions to any other fund	6j		
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m		
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
	r	Any other disallowance	6r		
	s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)		6s	
7		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37			
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c		
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
	f	Any other penalty or fine	7f		
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
	h	Amount of any liability of a contingent nature	7h		
	i	Any other amount not allowable under section 37	7i		
	j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)		7j	
8	A	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		

	c	Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]	Af		
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/40(ba)]	Ah		
	i	Any other disallowance	Ai		
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)		8Aj	
	B	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
9		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A			
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b		
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	d	Any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Any other disallowance	9e		
	f	Total amount disallowable under section 40A (total of 9a to 9e)		9f	
10		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	10da		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	10h		
	i	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10h)		10i	

11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a	
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b	
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c	
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d	
	da	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from such class of non-banking financial companies as may be notified by the Central Government, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11da	
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e	
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f	
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g	
	h	Any sum payable to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	11h	
i	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11h)		11i	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of			
a	Union Excise Duty	12a		
b	Service tax	12b		
c	VAT/sales tax	12c		
d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
h	Any other tax	12h		
i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA		13	
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41		14	
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)		15	
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A		16	
17	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006		17	
18	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [If yes, please fill schedule TPSA]		18	

<b>Part A – QD</b>		Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)	
<b>QUANTITATIVE DETAILS</b>	(a)	In the case of a trading concern	
	1	Opening stock	1
	2	Purchase during the previous year	2
	3	Sales during the previous year	3
	4	Closing stock	4
	5	Shortage/ excess, if any	5
	(b)	In the case of a manufacturing concern	
6	Raw materials		

	a	Opening stock	6a	
	b	Purchases during the previous year	6b	
	c	Consumption during the previous year	6c	
	d	Sales during the previous year	6d	
	e	Closing stock	6e	
	f	Yield finished products	6f	
	g	Percentage of yield	6g	
	h	Shortage/ excess, if any	6h	
	7	Finished products/ By-products		
	a	opening stock	7a	
	b	purchase during the previous year	7b	
	c	quantity manufactured during the previous year	7c	
	d	sales during the previous year	7d	
	e	closing stock	7e	
	f	shortage/ excess, if any	7f	

**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**

Schedule S		Details of Income from Salary			
SALARIES	Name of Employer		Nature of employer (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Drop down to be provided		TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)
	Address of employer		Town/City	State	Pin code/Zip code
	1 Gross Salary (1a + 1b + 1c+1d+1e+1f)				1
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)	1a		
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)	1b		
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c		
	d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A	1d		
	e	Income from retirement benefit account maintained in a country 'other than notified country' u/s 89A	1e		
	f	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year	1f		
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)				
2 Total Gross Salary (from all employers)				2	
2a Income claimed for relief from taxation u/s 89A				2a	
3 Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop-down to be provided in e-filing utility) (Note-Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)				3	
4 Net Salary (2 – 2a –3)				4	
5 Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)				5	
a	Standard deduction u/s 16(ia)	5a			
b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b			
c	Professional tax u/s 16(iii)	5c			
6 Income chargeable under the Head 'Salaries' (4 - 5)				6	

Schedule HP		Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)			
HOUSE PROPERTY	1 Address of property 1		Town/ City	State	Country PIN Code/ Zip Code
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)				
	Your percentage of share in the property (%) <input type="text"/>				
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)		Percentage Share in Property
	I				
	II				
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out		Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)
	I				
	II				
	a	Gross rent received or receivable or lettable value			1a
b	The amount of rent which cannot be			1b	
c	Tax paid to local authorities			1c	
d	Total (1b + 1c)			1d	
e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the			1e	
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)			1f	

	g	30% of 1f	1g	
	h	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	1h	
	i	Total (1g+ 1h)	1i	
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	1j	
	k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j) (fill up details separately for each property)	1k	
2		Pass through income/Loss if any *	2	
3		Income under the head “Income from house property” (Σ1k + 2) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	3	
NOTE ▶	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass-through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head			
NOTE ▶	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.			

Schedule BP		Computation of income from business or profession				
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	<b>A From business or profession other than speculative business and specified business</b>					
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii), 65(iv) and 66(ii) of P&L)			1	
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl.no.12b of Trading account + Sl.no 65iv of Schedule P&L]			2a	
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)			2b	
	3	heads of income or chargeable u/s 115BBF or chargeable u/s 115BBG or chargeable u/s 115BBH	a	Salaries	3a	(Item No. A of Schedule VDA)
			b	House property	3b	
			c	Capital gains	3c	
			d	Other sources	3d	
			di	Dividend income	3di	
			dii	other than Dividend income	3dii	
		e	u/s 115BBF	3e		
		f	u/s 115BBG	3f		
		g	u/s 115BBH (net of Cost of Acquisition)	3g		
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44BBC/44BBD/44DA (drop down to be provided)			4a	
	4b	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided and capture as individual line item)			4b	
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt				
		a	Share of income from firm(s)	5a		
		b	Share of income from AOP/ BOI	5b		
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)			
		i		ci		
	ii		cii			
	iii	Total (ci + cii)	5ciii			
	d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)	5d			
5A	Income or receipts credited to Profit and Loss account but not chargeable to tax under the Act			5A		
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 3f –3g– 4a–4b– 5d–5A)			6		
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of	a	Salaries	7a		
		b	House property	7b		
		c	Capital gains	7c		
		d	Other sources	7d		

	income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG or u/s 115BBH	e	u/s 115BBF	7e	
		f	u/s 115BBG	7f	
		g	u/s 115BBH (other than Cost of Acquisition u/s 115BBH)	7g	
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a	
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)				8b
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 7g + 8a + 8b)			9	
10	Adjusted profit or loss (6+9)				10
11	Depreciation and amortization debited to profit and loss account				11
12	Depreciation allowable under Income-tax Act				
	i Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP)			12i	
	ii Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)			12ii	
	iii Total (12i + 12ii)				12iii
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 + 11 – 12iii)				13
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6 s of PartA-OI)			14	
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of PartA-OI)			15	
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of PartA-OI)			16	
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of PartA-OI)			17	
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11i of PartA-OI)			18	
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006(17 of Part A-OI)			19	
20	Deemed income under section 41			20	
21	Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA /35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/ 80-IA			21	
22	Deemed income under section 43CA			22	
23	Any other item of addition under section 28 to 44DA			23	
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop. concern is a partner)			24	
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A - OI)			25	
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)				26
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)			27	
28	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)			28	
29	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year (8B of PartA-OI)			29	
30	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10i of PartA-OI)			30	
31	Any other amount allowable as deduction			31	
32	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)			32	
33	Total (27+28+29+30+31+32)				33
34	Income (13+26-33)				34
35	Profits and gains of business or profession deemed to be under -				
	i Section 44AD (61(ii) of schedule P&L)			35i	
	ii Section 44ADA (62(ii) of schedule P&L)			35ii	
	iii Section 44AE (63(ii) of schedule P&L)			35iii	
	iv Section 44B			35iv	

	v	Section 44BB	35v		
	via	Section 44BBA	35via		
	vib	Section 44BBC	35vib		
	vic	Section 44BBD	35vic		
	vii	Section 44DA	35vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii	Total (35i to 35vii)	35viii		
36		Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34 + 35viii)	36		
37		Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 36) (If loss take the figure to 2i of item E) (37a+ 37b + 37c + 37d + 37e + 37f)		A37	
	a	Income chargeable under Rule 7	37a		
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	37b		
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	37c		
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	37d		
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	37e		
	f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 36)	37f		
38		Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4b-(37a+37b+37c+37d+37e)]	38		
<b>B</b> Computation of income from speculative business					
39		Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account (Item No. 2a)	39		
40		Additions in accordance with section 28 to 44DA	40		
41		Deductions in accordance with section 28 to 44DA	41		
42		Income from speculative business (39+ 40 – 41) (if loss, take the figure to 6ix of schedule CFL)	B42		
<b>C</b> Computation of income from specified business under section 35AD					
43		Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	43		
44		Additions in accordance with section 28 to 44DA	44		
45		Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section, (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	45		
46		Profit or loss from specified business (43 + 44 -45)	46		
47		Deductions in accordance with section 35AD(1)	47		
48		Income from Specified Business (46-47) (if loss, take the figure to 7ix of schedule CFL)	C48		
49		Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	C49		
D		Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A37+B42+C48)	D		
<b>E</b> Intra head set off of business loss of current year					
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A37)	
	ii	Income from speculative business	(B42)		
	iii	Income from specified business	(C48)		
	iv	Total loss set off (ii + iii)			
	v	Loss remaining after set off (i – iv)			
<b>NOTE</b> Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head					

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)			
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery		
	2	Rate (%)	15	30	40
			(i)	(ii)	(iii)
					(iv)
	3a	Written down value on the first day of previous year			
	3b	Adjustment as per second proviso to sub-section (3) of section 115BAC (Refer to rule 5)			
3	Total (3a + 3b)				

	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year					
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4					
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)					
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year					
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7					
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)					
	10	Depreciation on 6 at full rate					
	11	Depreciation on 9 at half rate					
	12	Additional depreciation, if any, on 4					
	13	Additional depreciation, if any, on 7					
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days					
	15	Total depreciation (10+11+12+13+14)					
	16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)					
	17	Net aggregate depreciation (15-16)					
	18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)					
	19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/assets					
	20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)					
	21	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)					

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							

5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)							
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

**Schedule DEP** Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM -17i or 18i as applicable)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d		
	e	Total depreciation on plant and machinery ( 1a + 1b + 1c+1d)		1e	
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a		
	B	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c		
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)		2d	
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)		3	
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)		4	
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)		5	

6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)	6
---	----------------------------------	---

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets				
DEEMED CAPITAL GAINS	1	Plant and machinery				
		a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a		
		b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b		
		c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c		
		d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iv)	1d		
		e	Total (1a + 1b + 1c + 1d)			1e
	2	Building (not including land)				
		a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
		b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
		c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
		d	Total (2a + 2b + 2c)			2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)			3	
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)			4	
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)			5	
6	Total (1e+2d+3+4+5)			6		

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)			
Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)	
i	35(1)(i)				
ii	35(1)(ii)				
iii	35(1)(ia)				
iv	35(1)(iii)				
v	35(1)(iv)				
vi	35(2AA)				
vii	35(2AB)				
viii	35CCC				
ix	35CCD				
X	Total				
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.				

Schedule CG		Capital Gains			
CAPITAL GAINS	A	Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 and 5 are not applicable for residents)			
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)			
		Date of purchase/ acquisition DD/MM/YYYY		Date of sale/transfer DD/MM/YYYY	
		a	i	Full value of consideration received/receivable	ai
			ii	Value of property as per stamp valuation authority	aii
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains () [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]	aiii
	b	Deductions under section 48			

		i	Cost of acquisition without indexation			bi				
		ii	Cost of Improvement without indexation			bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii				
		iv	Total (bi + bii + biii)			biv				
		c	Balance (aiii – biv)			1c				
		d	Deduction under section 54B/54G/54GA (Specify details in item D below)			1d				
		e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)				A1e			
		f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code	State
		NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
		2	From slump sale							
		a	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)			2ai			
			ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)			2aii			
			iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)			2aiii			
		b	Net worth of the undertaking or division(6(e) of Form 3CEA)			2b				
		c	Short term capital gains from slump sale (2aiii-2b)					A2c		
		3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII) (where A4 is not applicable)							
		a	Full value of consideration			3a				
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation			bi			
			ii	Cost of Improvement without indexation			bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii			
			iv	Total (bi + bii +biii)			biv			
		c	Balance (3a – 3biv)			3c				
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			3d				
		e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)					A3e		
		4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)							
		a	STCG on transactions covered u/s 111A					A4a		
		b	STCG from sale of shares not covered in sl.no. 4a or sale of debentures					A4b		
		5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD							
		a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			ia			
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			ib			

			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic			
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	ii			
			iii	Total (ic + ii)	aiii			
		b	Deductions under section 48					
			i	Cost of acquisition without indexation	bi			
			ii	Cost of improvement without indexation	bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
			iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
		c	Balance (5aiii – biv)					
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)					5d
		e	Short-term capital gain on sale of securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)					A5e
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above							
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia				
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib				
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic				
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii				
		iii	Total (ic + ii)	aiii				
		b	Deductions under section 48					
			i	Cost of acquisition without indexation	bi			
			ii	Cost of Improvement without indexation	bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii			
			iv	Total (bi + bii + biii)	biv			
		c	Balance (6aiii – biv)					6c
		d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)					6d
		e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)					6e
		f	Deduction under section 54G/54GA					6f
		g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e -6f)					A6g
7	Amount deemed to be short term capital gains							
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? o Yes o No o Not applicable. If yes, then provide the details below						
		Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)	
					Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilized out of Capital Gains account		
		i	2022-23	54G/54GA				

	ii	2023-24	54B/54G/54GA								
	iii	2024-25	54B/54G/54GA								
	b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54B/54G/54GA, other than at 'a'									
	Total amount deemed to be short term capital gains (aXi + aXii + aXiii+ b)									A7	
8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)									A8	
	a	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 20%							A8a		
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable @ 30%							A8b		
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short-Term Capital Gain, chargeable at applicable rates							A8c		
9	Amount of STCG included in A1-A8 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA(Applicable for non-residents only)										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	a			Total amount of STCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA						A9a	
	b			Total amount of STCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA						A9b	
A(A)	Capital Loss on buy back of shares [Short Term Capital loss @20% / 30% / Applicable rate] (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1aiii or sl.no.2d/2e of schedule OS)									A(A)	
10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7+A8-A9a+A(A))									A10	

<b>B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 5, 6, 7 &amp; 8 are not applicable for residents)</b>											
<b>1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property from a to f)</b>											
Date of purchase/ acquisition				DD/MM/YYYY			Date of sale/transfer		DD/MM/YYYY		
Long-term Capital Gains	a	i	Full value of consideration received/receivable							ai	
		ii	Value of property as per stamp valuation authority							aii	
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.10 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]							aiii	
	b	Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation							bi	
		ii	Cost of acquisition with indexation							biia	
		ii	(Applicable only for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024)							b	
		ii	Total cost of improvement							biib(a)	
			(a) Cost of improvement without indexation								
			(b) Year of improvement								
			(c) Cost of Improvement with indexation							biib(c)	
			(b & c applicable only for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024)								
			Add row								
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biib	
	iv	Total							biv		
	iva	Total (only for the purpose of computing eiB)(biia + Σbiib(c) + biib)							biva		
	(Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23rd July 2024)										
c	Balance (aiii – biv )									1c	

	Balance (aiii – biva) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23 <sup>rd</sup> July 2024) (only for the purpose of computing eiB) (In case of negative, to be considered as nil)						1ca		
d	Deduction under section 54/54B/54D/54EC/54F/54G/54GA (Specify details in item D below)						1d		
e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						B1e		
ea	Long term Capital Gains on Immovable property (1ca – 1d) (Applicable for Residents for computational purposes under second proviso to section 112(1)(a) where acquisition is before 23 <sup>rd</sup> July 2024 ) (only for the purpose of computing eiB) (In case of negative, to be considered as nil)						B1ea		
ei	Where acquisition is before 23 <sup>rd</sup> July 2024 (for residents only)  A. <u>Tax as per 112(1)(a)(ii)(B) (1e*12.5%)</u>  B. <u>Tax for the purposes of second proviso to section 112(1)(a) (1ea*20%)</u> (Note : Tax computed at (ei) is for determining 'excess amount to be ignored in e(ii)' )						B1ei(A) B1ei(B)		
eii	Excess amount, if any, that is required to be ignored as per second proviso to section 112(1)(a) (for residents only) [B1ei(A)- B1ei(B)]						B1eii		
f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property, Country code, Zip code	Pin code and state		
NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
g	Total Long-term Capital Gains on all Immovable properties ( $\Sigma$ B1e)						B1g		
h	Total excess tax to be ignored ( $\Sigma$ B1eii)						B1h		
2	From slump sale								
	i	Fair market value as per Rule 11UAE(2)				2ai			
a	ii	Fair market value as per Rule 11UAE(3)				2aii			
	iii	Full value of consideration (higher of ai or aii)				2aii			
b	Net worth of the undertaking or division(6(e) of Form 3CEA)					2b			
c	Balance (2aiii – 2b)					2c			
d	Deduction u/s 54EC /54F (Specify details in item D below)					2d			
e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)					B2e			
3	From sale of (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bond as per Section 112(1); (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA (applicable only for resident individuals)								
	a	Full value of consideration				3a			
	b	Deductions under section 48							
	i	Cost of acquisition without indexation				bi			
	ii	Cost of improvement without indexation				bii			
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
	iv	Total (bi + bii +biii)				biv			
c	Balance (3a – biv)					3c			
d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)					3d			

	e	Long-term Capital Gains on assets at B3 (3c – 3d)			B3e	
4	From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)	4a			
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	4b			
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4 (4a – 4b)			B4c	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of unlisted shares or listed debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
	a	LTCG computed without indexation benefit in respect of unlisted shares or listed debentures	5a			
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	5b			
	c	LTCG on unlisted shares or listed debentures (5a-5b)			B5c	
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B7 is to be filled up)					
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (aiii – biv)			6c	
	d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)			6d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B6 in case of NON-RESIDENT (6c – 6d)			B6e	
7	For FII/FPI(NON-RESIDENTS) - From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A read with section 115AD					
	a	LTCG u/s 112A [Column 14 of Schedule 115AD(1)(b)(iii) proviso]	7a			
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	7b			
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 (7a – 7b)			B7c	
8	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)					
	a	LTCG on sale of foreign exchange asset (as per section 115F)(computed without indexation)	8a			
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)	8b			
	c	Balance LTCG on sale of foreign exchange asset (8a- 8b)			B8c	
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable					
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				

	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia								
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib								
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic								
	ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii								
	iii	i. Total (ic + ii)	aiii								
	b	<b>Deductions under section 48</b>									
	i	Cost of acquisition without indexation	bi								
	ii	Cost of improvement without indexation	bii								
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii								
	iv	Total (bi + bii+biii)	biv								
	c	Balance (9aiii – biv)	9c								
	d	Deduction under section 54D//54F/54G/54GA (Specify details in item D below)	9d								
	e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c-9d)		B9e							
10	<b>Amount deemed to be long-term capital gains</b>										
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? o Yes o No o Not applicable. If yes, then provide the details below									
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
				Previous year in which asset acquired/constructed	Amount utilized out of Capital Gains account						
	i	2022-23	54/54D/54F/54G/ 54GA								
	ii	2023-24	54/54B/54D/54F/54G/54GA/ 54GB								
	iii	2024-25	54/54B/54D/54F/54G/54GA								
	b	<b>Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'</b>									
		Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + aXiii + b)					B10				
11	<b>Pass Through Income/Loss in the nature of Long-Term Capital Gain (Fill up schedule PTI) (B11a1+B11a2)</b>						B11				
	a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% u/s 112A				B11a1					
	a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long-Term Capital Gain, chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A				B11a2					
12	<b>Amount of LTCG included in items B1 to B11 but claimed as not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (Applicable for non-residents only)</b>										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate /lower of (6) or (9)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	a	Total amount of LTCG claimed as not chargeable to tax as per DTAA									B12a
	b	Total amount of LTCG claimed as chargeable to tax at special rates as per DTAA									B12b
B(A)	Capital Loss on buy back of shares (Long Term Capital loss @12.5%) (can be claimed only if respective Dividend income u/s 2(22)(f) is offered in 1aiii or sl.no.2d/2e of schedule OS)									B(A)	

	13	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1g + B2e + B3e + B4c + B5c+ B6c + B7c + B8c+ B9e + B10 + B11 – B12a + B(A))		B13		
	C1	Sum of Capital Gain Incomes (8ii + 8iii + 8iv + 8v + 8vi + 8vii of table E below)			C1	
	C2	Income from transfer of Virtual Digital Assets (Item No. B of Schedule VDA)			C2	
	C3	Income chargeable under the head “CAPITAL GAINS” (C1 + C2)			C3	
	D	Information about deduction claimed against Capital Gains				
	1	In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC /54F/54G/54GA/115F give following details				
	a	Deduction claimed u/s 54				
	i	Date of transfer of original asset	ai	dd/mm/yyyy		
	ii	Cost of new residential house	aii			
	iii	Date of purchase /construction of new residential house	aiii	dd/mm/yyyy		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	aiv			
		(iva) Date of deposit	(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
		dd/mm/yyyy				
	v	Amount of deduction claimed	av			
	b	Deduction claimed u/s 54B				
	i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy		
	ii	Cost of new agricultural land	bii			
	iii	Date of purchase of new agricultural land	biii	dd/mm/yyyy		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	biv			
		(iva) Date of deposit	(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
		dd/mm/yyyy				
	v	Amount of deduction claimed	bv			
	c	Deduction claimed u/s 54D				
	i	Date of acquisition of original asset	ci	dd/mm/yyyy		
	ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	cii			
	iii	Date of purchase of new land or building	ciii	dd/mm/yyyy		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ			
		(iva) Date of deposit	(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
		dd/mm/yyyy				
	v	Amount of deduction claimed	cv			
	d	Deduction claimed u/s 54EC				
	i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy		
	ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	dii			
	iii	Date of investment	diii	dd/mm/yyyy		
	iv	Amount of deduction claimed	diiiv			
	e	Deduction claimed u/s 54F				
	i	Date of transfer of original asset	ei	dd/mm/yyyy		
	ii	Cost of new residential house	eii			
	iii	Date of purchase/construction of new residential house	eiii	dd/mm/yyyy		
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	eiv			
		(iva)Date of deposit	(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
		dd/mm/yyyy				
	v	Amount of deduction claimed	ev			
	f	Deduction claimed u/s 54G				
	i	Date of transfer of original asset from urban area	fi	dd/mm/yyyy		
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	fii			
	iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	fiii	dd/mm/yyyy		

	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date			fiv		
		(iva)Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
		dd/mm/yyyy					
	v	Amount of deduction claimed			fv		
	g	Deduction claimed u/s 54GA					
	i	Date of transfer of original asset from urban area			gi	dd/mm/yyyy	
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset			gii		
	iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ			giii	dd/mm/yyyy	
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date			giv		
		(iva)Date of deposit		(ivb) Account number	(ivc) IFS code		
		dd/mm/yyyy					
	v	Amount of deduction claimed			gv		
	h	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)					
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset			hi	dd/mm/yyyy	
	ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate			hii		
	iii	Date of investment			hiii	dd/mm/yyyy	
	iv	Amount of deduction claimed			hiv		
	i	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g + 1h)			li		

<b>E</b> Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B13a which is chargeable under DTAA)									
S. N o.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital Loss		Current year's capital gains remaining after set off (8=1-2-3-4-5-6-7)*
			20%	30 %	Applicable rate	DTA A rate	12.5%	DTA A rate	
		1	2	3	4	5	6	7	8
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only, if figure computed is negative)		( A3e* + A4a* + A8a* + A(A) )	( A5e* * + A8b* * + A(A) )	(A1e*+ A2c*+ A4b*+ A6g*+ A7*+ A8c*+A(A))	A9b	(B1g* + B2e*+ B3e*+ B4c*+ B5c*+ B6e*+ B7c*+ B8c*+ B9e*+ B10*+ B11a1*+ B11a2*+ B(A))	B12b	
ii		20%	(A3e*+ A4a*+ A8a*+ A(A))						

	iii	30%	(A5e*+ A8b*+ A(A))						
	iv	Applicable rate	(A1e*+ A2c*+ A4b*+ A6g*+ A7*+ A8c*+ A(A))						
	v	DTAA rates	A9b						
	vi	12.5%	(B1g*+ B2e*+ +B3e*+B 4c*+ B5c*+ B6e*+ B7c*+ B8c*+ B9e*+ B10*+ B11a1*+ B11a2*+ B(A))						
	vii	DTAA rates	B12b						
	viii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii)							
	ix	Loss remaining after set off (i- viii)							
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.									
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) is after setoff with similar securities and as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.									

F Information about accrual/receipt of capital gain							
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6	16/6 to 15/9	16/9 to 15/12	16/12 to 15/3	16/3 to 31/3	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.						
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.						
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.						
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.						
5	Long-term capital gains taxable at the rate of 12.5%						



Schedule 115AD(1)(b)(iii) proviso		For NON-RESIDENTS – From sale of equity share in a company or unit of equity-oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A rws 115AD(1)(b)(iii) proviso												
Sl. No.	Share/Unit Acquired (On or before/after 31 <sup>st</sup> Jan 2018)	ISIN Code	Name of the Share/Unit	No. of Shares/Units	Sale price per Share/Unit	Full value of consideration -If shares are acquired on or before 31.01.2018 (Total Sale Value) (4*5) - If shares are Acquired after 31 <sup>st</sup> January 2018 – Please enter Full Value of Consideration	Cost of acquisition without indexation (higher of 8 or 9)	Cost of acquisition	If the long-term capital asset was acquired before 01.02.2018, - Lower of 6 and 11	Fair Market Value per share/unit as on 31 <sup>st</sup> January, 2018	Total Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(a)-(4*10)	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	Total deductions (7+12)	Balance (6-13) -Item 8 (a) of LTCG Schedule of ITR3
(Col 1)	(Col 1a)	(Col 2)	(Col 3)	(Col 4)	(Col 5)	(Col 6)	(Col 7)	(Col 8)	(Col 9)	(Col 10)	(Col 11)	(Col 12)	(Col 13)	(Col 14)
1														
2														
3														
4														
Add rows														
<b>Total</b>														

Schedule VDA		Income from transfer of Virtual Digital Assets (Note: Details of every transaction are to be filled, wherein every 'transfer' is a transaction)				
Sl. No.	Date of Acquisition	Date of Transfer	Head under which income to be taxed (Business/Capital Gain)	Cost of Acquisition (In case of gift; a. Enter the amount on which tax is paid u/s 56(2)(x) if any b. In any other case cost to previous owner)	Consideration Received	Income from transfer of Virtual Digital Assets (enter nil in case of loss) (Col. 6 – Col. 5)
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3)	(Col. 4)	(Col. 5)	(Col. 6)	(Col. 7)
Add Rows						
<b>A. Total (Sum of all Positive Incomes of Business Income in Col. 7)</b>						<b>(Item No. A3g of Schedule BP)</b>
<b>B. Total (Sum of all Positive Incomes of Capital Gain in Col. 7)</b>						<b>(Item No. C2 of Schedule CG)</b>

Schedule OS		Income from other sources				
OTHER SOURCES	<b>1</b>	<b>Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)</b>				<b>1</b>
	<b>a</b>	<b>Dividends, Gross (ai+aii+aiii)</b>			<b>1a</b>	
	<b>i</b>	Dividend income other than ii and iii	ai			
	<b>ii</b>	Dividend income u/s 2(22)(e)	aii			
	<b>iii</b>	Dividend income u/s 2(22)(f)	aiii			
	<b>b</b>	<b>Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv + bvi + bvii + bviii + bix)</b>			<b>1b</b>	
	<b>i</b>	From Savings Bank	bi			
	<b>ii</b>	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society/)	bii			
	<b>iii</b>	From Income-tax Refund	biii			
	<b>iv</b>	In the nature of Pass-through income/Loss	biv			
	<b>v</b>	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(11)	bv			
	<b>vi</b>	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per Second proviso to section 10(11)	bvi			
	<b>vii</b>	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per first proviso to section 10(12)	bvii			
	<b>viii</b>	Interest accrued on contributions to provident fund to the extent taxable as per second proviso to section 10(12)	bviii			
	<b>ix</b>	Others including interest from Companies, NBFCs & HFCs	bix			
	<b>c</b>	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			<b>1c</b>	
	<b>d</b>	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			<b>1d</b>	
	<b>i</b>	Aggregate value of sum of money received without consideration			<b>di</b>	
	<b>ii</b>	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property			<b>dii</b>	
	<b>iii</b>	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration			<b>diii</b>	
	<b>iv</b>	In case any other property is received without consideration, fair market value of property			<b>div</b>	
	<b>v</b>	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration			<b>dv</b>	
	<b>e</b>	Any other income (please specify nature)			<b>1e</b>	
	Sl. No.	Nature				<b>Amount</b>
	1	Family Pension				
	2	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A				
3	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A					
4	Income taxable during the previous year on which relief u/s 89A was claimed in any earlier previous year					
5	Any specified sum received by a unit holder from a business trust during the previous year referred to in section 56(2)(xii)					
6	Any sum is received, including the amount allocated by way of bonus, at any time during a previous year, under a life insurance policy referred to in section 56(2)(xiii)					
	Rows can be added as required					
<b>2</b>	<b>Income chargeable at special rates (2ai+2aii+ 2b+ 2c+ 2d + 2e + 2f related to Sl. No. 1)</b>				<b>2</b>	
	<b>ai</b>	Winnings from lotteries, crossword puzzles, races, card games etc. chargeable u/s 115BB		<b>2ai</b>		

a	ii	Income by way of winnings from online games chargeable u/s 115BBJ		2aii	
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)		2b	
i	i	Cash credits u/s 68	bi		
	ii	Unexplained investments u/s 69	bii		
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii		
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv		
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv		
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi		
c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111		2c		
	S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxix)		2d		
i	i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A)	di		
	ia	Dividend received by non-resident (not being company) or foreign company from a unit in an International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA chargeable under proviso to section 115A(1)(a)(A)	dia		
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	dii		
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	diii		
	iv	Interest referred to in section 194LC (1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)@5%	div		
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv		
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	dvi		
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	dvii		
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)	dviii		
	ix	Income by way of interest on bonds purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix		
	x	Income by way of dividend on GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dx		
	xi	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dxii		
	xii	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxiii		
	xiii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiiii		
xiv	Income received by non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxiv			

	xv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC							dxv			
	xvi	Interest referred to in Proviso to section 194LC(1)-chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa)@4%							dxvi			
	xvii	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF							dxvii			
	xviii	Income by way of transfer of carbon credits-chargeable u/s 115BBG							dxviii			
	xix	Income being dividend received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)							dxix			
	xx	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E							dx			
	xxi	Income received by non-resident as referred in second proviso to section 194LC(1) - chargeable u/s 115A(1)(a)(iaa) @ 9%							dxxi			
	e	Pass through income in the nature of income from other sources claimed as chargeable at special rates ( <i>drop down to be provided</i> )								2e		
	f	Amount included in 1 and 2 above, which is claimed as chargeable at special rates in India as per DTAA ( <i>total of column (2) of table below</i> ) (Applicable for non-residents only)								2f		
		Sl. No.	Amount of income	Item No.1ai, 1aiii,1b to 1d & 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty ( <i>enter NIL, if not chargeable</i> )	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate <i>lower of (6) or (9)</i>	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
3	Deductions under section 57 ( <i>other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b, 2d, 2e &amp; 2f</i> )											
	a(i)	Expenses / Deductions other than entered in "C" (in case of other than family pension)							3a(i)			
	a(ii)	Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)							3a(ii)			
	b	Depreciation (available only if income offered in 1.c of "Schedule OS")							3b			
	c	Interest expenditure on dividend u/s 57(1)(Available only if income offered in 1a(i) and/ or 1a(ii))							3c			
	ci	Eligible Interest expenditure u/s 57(1) – computed value							3ci			
	d	Total							3d			
4	Amounts not deductible u/s 58										4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5	
5a	Income claimed for relief from taxation u/s 89A										5a	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5-5a) ( <i>If negative take the figure to 4i of schedule CYLA</i> )										6	
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 +6) ( <i>enter 6 as nil, if negative</i> )										7	
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses											
	a	Receipts							8a			
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only							8b			
	c	Amounts not deductible u/s 58							8c			
	d	Profits chargeable to tax u/s 59							8d			
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) ( <i>if negative take the figure to 10xvi of Schedule CFL</i> )							8e			
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) ( <i>take 8e as nil, if negative</i> )										9	
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources											

S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)					
2	Income by way of winnings from online games u/s 115BBJ					
3a	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(i)					
3b	Dividend Income referred in Sl. No. 1a(iii)					
4	Dividend Income u/s 115A(1)(a)(i) other than proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 20% (Including PTI Income)					
5	Dividend income under proviso to section 115A(1)(a)(A) @ 10% (Including PTI Income)					
6	Dividend Income u/s 115AC @ 10% (Including PTI Income)					
7	Dividend Income u/s 115ACA (1)(a) @ 10% (Including PTI Income)					
8	Dividend Income (other than units referred to in section 115AB) u/s 115AD(1)(i) @ 20% (Including PTI Income)					
9	Income from retirement benefit account maintained in a country specified u/s 89A but not claimed for relief from taxation u/s 89A					
10	Dividend income chargeable at DTAA Rates					

**NOTE ▶**

Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA		Details of Income after set-off of current years losses					
Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from owning race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off	
		1	2	3	4	5=1-2-3-4	
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	i	Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative) →		(3 of Schedule HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)				
	iii	House property	(3 of Schedule HP)				
	iv	Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession	(A37 of Schedule BP)				
	v	Speculative Income	(3ii of item E of Schedule BP)				
	vi	Specified Business Income	(3iii of item E of Schedule BP)				
	vii	Short-term capital gain taxable @ 20%	(8ii of item E of Schedule CG)				
	viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(8iii of item E of Schedule CG)				
	ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(8iv of item E of Schedule CG)				
	x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(8v of item E of Schedule CG)				
	xi	Long term capital gain taxable @ 12.5%	(8vi of item E of Schedule CG)				
	xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(8vii of item E of Schedule CG)				
	xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of Schedule OS)				
	xiv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of Schedule OS)				
	xv	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of Schedule OS)				
	xvi	Total loss set off					
	xvii	Loss remaining after set-off (i – xv)					

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years				
Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	Salaries	(5ii of Schedule CYLA)				
ii	House property	(5iii of Schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iv of Schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss) (Note: B/F loss set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB, 44BBD)	(Note: B/F depreciation set off will be restricted to business income excluding income u/s 44BB, 44BBD)		



xvii	Total of earlier year losses b/f								
xviii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA	(2ii of Schedule BFLA)		(2iii of Schedule BFLA)	(2iv of Schedule BFLA)	(2v of Schedule BFLA)			(2xiii of Schedule BFLA)
xix	2026-27 (Current year losses to be carried forward)	(2xvii of Schedule CYLA)		(3xvii of Schedule CYLA)	(B42 of Schedule BP, if -ve)	(C48 of Schedule BP, if -ve)	(2ix+3ix+4ix+5ix) of item E of Schedule CG)	(6ix + 7ix) of item E of Schedule CG)	(8e of Schedule OS, if -ve)
xx	Total loss Carried forward to future years								

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)						
Sl No	Assessment Year	Depreciation				Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount as adjusted on account of opting for taxation u/s 115BAC(1A)	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Current Assessment Year							
ii								
iii								
iv								
V	Total			(3xv of BFLA)			(4xv of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit		
Sl. No.	ICDS	Increase in profit (Rs.)	Decrease in profit (Rs.)	Net effect (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Accounting Policies			
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)			
III	Construction Contracts			
IV	Revenue Recognition			
V	Tangible Fixed Assets			
VI	Changes in Foreign Exchange Rates			
VII	Government Grants			
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)			
IX	Borrowing Costs			
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets			
XI.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)			

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA			
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)
	c	Total deduction under section 10AA (a + b)			c

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G							
DETAILS OF DONATIONS	A		Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i								
	ii								
	iii Total								
	B		Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i								
	ii								
	iii Total								
	C		Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
	i								
ii									
iii Total									
D		Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit							
Name and address of donee		PAN of Donee	ARN (Donation Reference Number)	Amount of donation			Eligible Amount of donation	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation			
i									
ii									

Schedule 80GGA (applicable in the case of a partner of firm deriving only profit from the firm)		Details of donations for scientific research or rural development					
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed ( <i>drop down to be provided</i> )	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

Schedule 80GGC		Details of contributions made to political parties							
S. No.	Date	Amount of contribution			Eligible amount of contribution	Name of the political party	PAN of the political party	Transaction Reference number for UPI transfer or Cheque number/IMPS/NEFT/RTGS	IFS code of Bank
		Contribution in cash	Contribution in other mode	Total Contribution					
i									
	(add rows)								
	Total contribution								

Schedule 80DD		Details of deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability							
Nature of disability	Type of disability	Type of dependent	PAN of the dependent	Aadhaar of the dependent	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Ack No of Form as per Rule 11A(2)(ii) (if available)	UDID Number (If available)	Amount
1. Dependent person with disability 2. Dependent person with severe disability	(1) blindness; (2) low vision; (3) leprosy-cured; (4) hearing impairment; (5) locomotor disability; (6) mental retardation; (7) mental illness; (8) autism (9) cerebral palsy (10) multiple disability	1. Spouse 2. Son 3. Daughter 4. Father 5. Mother 6. Brother 7. Sister 8. Member of the HUF (in case of HUF)							

Schedule 80U		Details of deduction in case of a person with disability				
Nature of disability	Type of disability	Date of filing of Form 10IA	Ack. No. of Form 10IA filed	Ack No of Form as per Rule 11A(2)(ii) (if available)	UDID Number (If available)	Amount
1. Self with disability 2. Self with severe disability	(1) blindness; (2) low vision; (3) leprosy-cured; (4) hearing impairment; (5) locomotor disability; (6) mental					

	retardation; (7) mental illness; (8) autism (9) cerebral palsy (10) multiple disability					
--	---	--	--	--	--	--

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]				
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i						
ii						
iii	Total					

Schedule 80-IA					
a	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	a1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 )				b

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB			
a	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	d1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to d2)				e

Schedule 80-IE		Deductions under section 80-IE				
a	Deduction in respect of undertaking located in North-East	aa	Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
				aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		ab	Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
				ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		ac	Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
				ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		ad	Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)

		ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
ae	Meghalaya	ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
af	Nagaland	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
ag	Tripura	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
ah	Sikkim	ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		ah2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
ai	Total deduction for undertakings located in North-east (total of aal to ah2)				ai
b	Total deduction under section 80-IE (ai)				b

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A				
TOTAL DEDUCTIONS	<b>1 Part B- Deduction in respect of certain payments</b>					
	a	80C (Details are to be filled in the dropdown to be provided in the e-filing utility)		b	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
	c	80CCD(1) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		d	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
	e	80CCD(2) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		f	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
	g	80DD		h	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
	i	80E (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		j	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
	k	80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		l	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
	m	80G		n	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
	o	80GGA		o(i)	80GGC	
	Total Deduction under Part B (total of a to o(i))					1
	<b>2 Part C- Deduction in respect of certain incomes</b>					
	p	80-IA	(b of Schedule 80-IA)	Q	80-IAB	
	r	80-IB	(E of Schedule 80-IB)	s	80-IBA	
	t	80-IE	(e of Schedule 80-IE)	U	80JJA	
	v	80JJAA	[Sl.no. 5I(eiv) +5II of Annexure to Form 10DA]	w	80QQB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	

	x	80RRB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)						
Total Deduction under Part C (total of p to x)							2	
<b>3 Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction</b>								
	i	80TTA		ii	80TTB			
	iii	80U		iv	80CCH			
	v	Any other Deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)						
Total Deduction under Part CA and D (total of i, ii, iii, iv and v)							3	
<b>4 Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3)</b>							<b>4</b>	

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC					
1	Total Income as per item 14 of PART-B-TI					1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)						
	a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a				
	b	Deduction claimed u/s 10AA	2b				
	c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed	2c				
	d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d				
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)					3	
	a	Adjusted Total Income u/s 115JC from units located in IFSC, if any	3a				
	b	Adjusted Total Income u/s 115JC from other Units (3-3a)	3b				
4	Tax payable under section 115JC [(9% of (3a)+ 18.5% of (3b)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakh)					4	

Schedule AMTC		Computation of tax credit under section 115JD					
1	Tax under section 115JC in assessment year 2026-27(1d of Part-B-TTI)					1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2026-27 (2i of Part-B-TTI)					2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3	
4	Utilization of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)						
S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilized during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)	
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)			
i	2013-14						
ii	2014-15						
iii	2015-16						
iv	2016-17						
v	2017-18						
vi	2018-19						
vii	2019-20						
viii	2020-21						

	ix	2021-22				
	x	2022-23				
	xi	2023-24				
	xii	2024-25				
	xiii	2025-26				
	xiv	Current AY (enter 1 - 2, if 1>2 else enter 0)				
	xv	Total				
5	Amount of tax credit under section 115JD utilized during the year [total of item no 4 (C)]					5
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]					6

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64					
Sl No	Name of person	PAN/Aadhaar No. of person (optional)	Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1					
2					
3					

Schedule SI						
SPECIAL RATE	Sl No	Section	<input type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income(i)	Tax thereon (ii)
		1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years	<input type="checkbox"/>		(2ciii of Schedule OS)
	2	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)	
	3	115AD(STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)	
	4	112(1) (LTCG on listed securities/ units)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	7a	115AC (Income by way of interest received by non-resident on bonds purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	7b	115AC (Income by way of Dividend received by non-resident from GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of Schedule OS)	
	8	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	9	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	10	115E (LTCG for non-resident Indian on foreign exchange asset)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	11	112 (LTCG on others) and tax thereon after taking into account Sl. no. B1h of Schedule CG, if any.	<input type="checkbox"/>	12.5(as reduced by B1h of Schedule CG, if any)	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	12	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)	
	13	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of Schedule BFLA)	
	14	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xi of Schedule BFLA)	
	15a	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2ai of Schedule OS)	
	15b	115BBJ (Winning from online games)	<input type="checkbox"/>	30	(2aii of Schedule OS)	
	16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of Schedule OS)	

17	115BBH (Tax on income from virtual digital asset)				
	A	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	30	(A3g of Schedule BP)
	B	Income under head Capital Gain	<input type="checkbox"/>	30	(C2 of Schedule CG)
18	115BBF (Tax on income from patent)				
	A	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3e of Schedule BP)
	B	Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2d of Schedule OS)
19	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	A	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3f of Schedule BP)
	B	Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2d of Schedule OS)
20	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty & Fees for technical services)		<input type="checkbox"/>	20	(part of 2d of Schedule OS)
21	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA		<input type="checkbox"/>		(part of 5xv of Schedule BFLA)
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 20%		<input type="checkbox"/>	20	(part of 5vi of Schedule BFLA)
23	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%		<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of Schedule BFLA)
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% u/s 112A		<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 12.5% under sections other than u/s 112A		<input type="checkbox"/>	12.5	(part of 5x of Schedule BFLA)
26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)		<input type="checkbox"/>		(2e of Schedule OS)
27	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)		<input type="checkbox"/>		(2d of Schedule OS)
				<b>Total</b>	

Schedule IF Information regarding partnership firms in which you are partner									
Number of firms in which you are partner									
Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Amount of interest due or received	Amount of remuneration due or received	Capital balance on 31 <sup>st</sup> March in the firm
						i	ii	iii	iv
1									
2									
3									
4	<b>Total</b>								

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)										
EXEMPT INCOME	1	Interest income						1		
	2	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			i				
		i	Expenditure incurred on agriculture			ii				
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			iii				
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 38 of Sch. BP)			iv				
	v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)						2		
	vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)								
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located							
	b	Measurement of agricultural land in Acre								

		c Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
		d Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
3	Other exempt income (including exempt income of minor child) (please specify)						3		
4	Income claimed as not chargeable to tax as per DTAA (Applicable for non-residents only)								
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income		Whether TRC obtained (Y/N)	
	I								
	II								
	III	Total Income from DTAA claimed as not chargeable to tax						4	
5	Pass through income claimed as not chargeable to tax (Schedule PTI)						5		
6	Total (1+2+3+4+5)						6		

**Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115U, 115UA and 115UB**

Sl .	Investment entity covered by section 115U/115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl .	Head of income	Current Year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income / Loss 9=7-8	TDS on such amount , if any						
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PASS THROUGH INCOME	1.	(drop down to be provided)			i	House property									
					ii	Capital Gains									
					a	Short term									
					a1	Section 111A									
					b	Long term									
					b1	Section 112A									
					B	Sections other than 112A									
					iii	Other Sources									
					a	Dividend									
					b	Others									
					iv	Income claimed to be exempt									
					A	u/s 10(23FBB)									
					B	u/s .....									
					C	u/s .....									
					2.					i	House property				
										ii	Capital Gains				
A	Short term														
a1	Section 111A														
B	Long term														
b1	Section 112A														
b2	Sections other than 112A														
iii	Other Sources														
1	Dividend														
2	Others														
iv	Income claimed to be exempt														

						a	u/s 10(23FBB )			
						b	u/s .....			
						c	u/s .....			

Schedule-TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A) as per the schedule provided in e-filing utility						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustments on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time (please indicate the total of adjustments made in respect of all the AYs)						
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
		b	Surcharge @ 12% on "a"					
		c	Health & Education cess on ( a + b)					
		d	Total Additional tax payable ( a + b + c)					
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
	7	BSR Code						
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)								
INCOME FROM OUTSIDE INDIA	Sl.	Country Code (dropdown to be provided in the e-filing utility)	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
	1				i	Salary					
					ii	House Property					
					iii	Business or Profession					
					iv	Capital Gains					
					v	Other sources					
						Total					
	2				i	Salary					
					ii	House Property					
					iii	Business or Profession					
					iv	Capital Gains					
v					Other sources						
					Total						

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)



	and code			of the Entity	Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	(at cost) (in rupees)	from such Interest		Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	2(a)	2(b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
<b>C</b> Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December 2025												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
<b>D</b> Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December 2025												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
<b>E</b> Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the calendar year ending as on 31 <sup>st</sup> December 2025 and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
<b>F</b> Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
<b>G</b> Details of any other income derived from any source outside India (i) which is not included in- items A to F above or, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

**NOTE** In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A		Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code			
Name of the spouse					
PAN/Aadhaar No. of the spouse					
Whether books of account of spouse is audited u/s 44AB or under any other provisions (other than u/s 92E) of this Act or under any other Acts? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 44AB under this Act or under any other provisions (other than u/s 92E) of this Act or under any other Acts?		Yes/No			
Whether books of account of spouse is audited u/s 92E? or Whether your spouse is a partner of a firm whose accounts are required to be audited u/s 92E under this Act?		Yes/No			
	Heads of Income	Receipts received under	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Business or profession				
3	Capital gains				
4	Other sources				
5	Total				

Schedule AL		Assets and Liabilities at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs. 1 crore)			
DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	<b>A Details of immovable assets</b>				
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	<b>B Details of movable assets</b>				
	Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)			(3)
	(i)	Jewellery, bullion etc.			
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
	(iv)	Financial assets			Amount (cost) in Rs.
	(a)	Bank (including all deposits)			
	(b)	Shares and securities			
	(c)	Insurance policies			
	(d)	Loans and advances given			
	(e)	Cash in hand			
	<b>C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof</b>				
	Sl. No.	Name and address of the firm(s)/ AOP(s)	PAN of the firm/ AOP		Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis
	(1)	(2)	(3)		(4)
(i)					
(ii)					
<b>D Liabilities in relation to Assets at (A + B + C)</b>					

Schedule GST		INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST	
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)
<b>NOTE</b>		Please furnish the information above for each GSTIN No. separately	

Schedule : Tax deferred on ESOP		Information related to Tax deferred - relating to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC						
PAN of the employer being an eligible startup								
DPIIT registration number of the employer								
DETAILS	Sl. No.	Assessment Year	Amount of Tax deferred brought forward	Has any of the following events occurred during the previous year relevant to current assessment year			Amount of tax payable in the current Assessment Year  (to be populated from col. 3 or 4 as the case maybe)	Balance amount of tax deferred to be carried forward to be next Assessment years  Col (3- 7)
				Such specified security or sweat equity shares were sold (i)Fully (ii)Partly (iii)Not sold  Specify the date and amount of tax attributed to such sale out of Col 3  (Details to be provided as per utility)	Ceased to be the employee of the employer who allotted or transferred such specified security or sweat equity share? o Yes o No  If yes, specify date	Forty-eight months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity shares referred to in the said *clause were allotted. If yes, specify date of allotment		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	2	2022-23	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	3	2023-24	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year			(To be enabled from AY 2027-28) (Payment to be made in FY 2026-27)		
	4	2024-25	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	5	2025-26	Sl. No. 8 of Schedule ESOP for last year					
	6	2026-27						

## PART-B

Part B – TI		Computation of total income	
TOTAL INCOME	1	Salaries (6of Schedule S)	1
	2	Income from house property (3of Schedule-HP) (enter nil if loss)	2
	3	Profits and gains from business or profession	
	i	Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A37of Schedule BP) (enter nil if loss)	3i
	ii	Profit and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3ii
	iii	Profit and gains from specified business (3(iii)of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3iii
	iv	Income chargeable to tax at special rates(3e, 3f& 3g of Schedule BP)	3iv
	v	Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (enter nil if 3v is a loss)	3v
	4	Capital gains	
	a	Short term	
	i	Short-term chargeable @ 20% ( 8ii of item E of schedule CG)	ai
	ii	Short-term chargeable @ 30% (8iii of item E of schedule CG)	a ii
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (8iv of item E of schedule CG)	a iii
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA(8v of item E of Schedule CG)	a iv
v	Total Short-term (ai + a ii + a iii + a iv) (enter nil if loss)	4av	
b	Long-term		
i	Long-term chargeable @ 12.5% ( 8vi of item E of schedule CG)	bi	
ii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (8vii of item E of schedule CG)	b ii	
iii	Total Long-term (bi + b ii)(enter nil if loss)	4biii	
c	Sum of Short-term/Long-term capital gains (4av+4biii) (enter nil if loss)	4c	
d	Capital gain chargeable @ 30% u/s 115BBH (C2 of schedule CG)	4d	
e	Total capital gains (4c + 4d)	4e	
5	Income from other sources		
a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	5a	
b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	5b	
c	Income from the activity of owning and maintaining race horses ( 8e of Schedule OS)(enter nil if loss)	5c	
d	Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss)	5d	
6	Total of head wise income (1 + 2 + 3v +4e +5d)	6	
7	Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule CYLA)	7	
8	Balance after set off current year losses (6 – 7) (total of serial number (ii) to (xv) column 5 of Schedule CYLA+5b+3iv)	8	
9	Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xv, 3xv and 4xv of Schedule BFLA)	9	
10	Gross Total income (8-9) (also total of serial no (i) to (xiii) of column 5 of Schedule BFLA+ 5b+ 3iv)	10	
11	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 10	11	
12	Deductions under Chapter VI-A		
a	Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (total of i,ii,iii,iv,v,viii,xii,xiii) of column5 of BFLA]	12a	
b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A]	12b	
c	Total (12a + 12b)/limited upto (10-11)]	12c	
13	Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)	13	
14	Total income (10 -12c-13)	14	

15	Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)	15	
16	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (2v of Schedule EI)	16	
17	Aggregate income (14-15+16)[applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	17	
18	Losses of current year to be carried forward (total of row xix of Schedule CFL)	18	
19	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	19	

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income					
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)		1a		
		b	Surcharge on (a) (if applicable)		1b		
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above		1c		
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)		1d		
	2	Tax payable on total income					
		a	Tax at normal rates on 17 of Part B-TI		2a		
		b	Tax at special rates (total /of col. (ii) of Schedule-SI)		2b		
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2c		
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b – 2c)		2d		
		e	Rebate under section 87A		2e		
		f	Tax payable after rebate (2d – 2e)		2f		
		g	Surcharge	Surcharge computed before marginal relief	Surcharge after marginal relief		
			i @ 25% of 16(ii) of Schedule SI	2gi	ia		
			ii @10% or 15%, as applicable	2gii	iaa		
			iii On [(2f) – 16(ii) of Schedule SI- tax on income referred in 2g(ii)above]]	2giii			
			iv Total (ia + iia)			2giv	
		h	Health and Education Cess @ 4% on (2f + 2giii)		2h		
		I	Gross tax liability (2f+ 2giv + 2h)		2i		
	3	Gross tax payable (higher of 1d and 2i)				3	
	3a	Tax on income without including income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC(3-3b)				3a	
	3b	Tax deferred - relating to income on perquisites referred in section 17(2)(vi) received from employer, being an eligible start-up referred to in section 80-IAC				3b	
	3c	Tax deferred from earlier years but payable during current AY ( total of col 7 of schedule Tax deferred on ESOP)				3c	
	4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2i is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)				4	
	5	Tax payable after credit under section 115JD (3a+3c - 4)				5	
	6	Tax relief					
		a	Section 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)		6a		
		b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)		6b		
		c	Section 91 (3 of Schedule TR)		6c		
	d	Total (6a + 6b+ 6c)		6d			
7	Net tax liability (5 – 6d) (enter zero if negative)				7		
8	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)		8a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)		8b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)		8c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)		8d			
	da	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)		8da			
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d+8da)		8e			

9		Aggregate liability (7 + 8e)				9		
TAXES PAID	10 Taxes Paid							
	a	Advance Tax (from column 5 of 17A)				10a		
	b	TDS (total of column 5 of 17B and column 9 of 17C)				10b		
	c	TCS (column 7(i) of 17D)				10c		
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 17A)				10d		
e Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)						10e		
11		Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11		
12		Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				12		
BANK ACCOUNT	13 Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)						Select Yes or No	
	i. a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)							
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by e-filing utility)	Select Account for refund credit (tick at least one account ✓)		
	I							
II								
Note: 1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. In case multiple accounts are selected, the refund will be credited to one of the validated accounts after processing the return.								
Rows can be added as required								
ii. b) Non- residents, not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:								
	Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN			
	1							
14 Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]						OYes ONo		

<b>15</b> If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:						
Identification No. of TRP			Name of TRP		Counter Signature of TRP	
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof					<b>16</b>	
<b>17</b> TAX PAYMENTS						
<b>A</b> Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax						
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	i					
	ii					
	iii					
iv						
<b>NOTE</b> ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl. No. 10a & 10d of Part B-TTI						
<b>B</b> Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]						
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer	Name of the Employer	Income chargeable under Salaries	Total tax deducted	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	I					
II						
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column 5 in 10b of Part B-TTI						

C Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C /16D/16E furnished by Deductor(s)]														
Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS Deducted during the FY 2025-26)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)		Corresponding Receipt/withdrawals offered		TDS credit being carried forward	
					Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4a)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
								Income	TDS		Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.	
i														

D Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]										
Sl. No.	TCS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/ other person as per rule 37-I(1)]	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	PAN of other Person (if TCS credit related to other person)	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. Year		TCS credit being claimed this Year		TCS credit being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f	Collected in own hands	Collected in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37-I(1) (if applicable)	
(1)	2(i)	(2)(ii)	(3)	(4)	(5)	6(i)	(6)(ii)	7(i)	(7)(ii)	(8)
									TCS	PAN
i										
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column (7)(i) in 10c of Part B-TTI										

### VERIFICATION

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as \_\_\_\_\_ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted) . I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Place

Sign here →".

[No. 47 /2026/F. No. 370142/7/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

**Note:-** The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Par II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification GSR 227(E), dated the 30th March, 2026